एन पी सी सी
NPCC

54वां वार्षिक प्रतिवेदन
2010-11

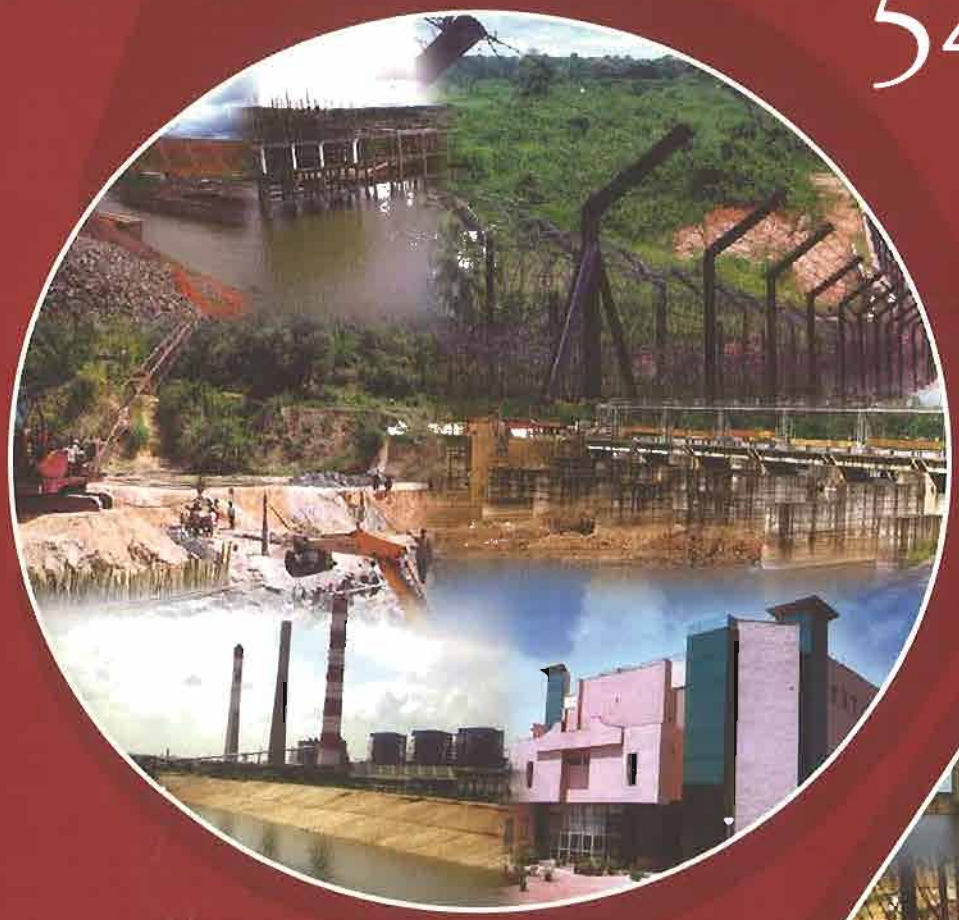

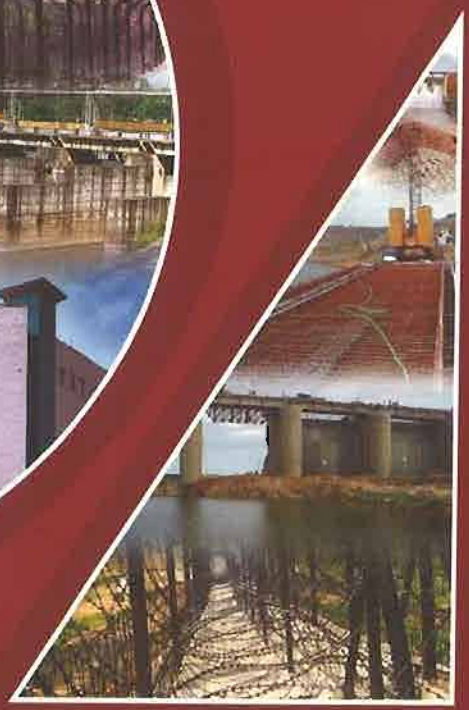

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

National Projects Construction Corporation Limited

A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE

"परियोजना निष्पादन के क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय संगठन बनना"

भवदृष्टि

"अपने ग्राहकों के साथ पारस्परिक व्यवहार के सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नव–परिवर्तन के माध्यम से संगठन और कर्मचारियों की क्षमताओं में निरन्तर वृद्धि कर वर्ष 2015–16 तक सकारात्मक निवल योग्यता के साथ दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हासिल करना ।"

परम लक्ष्य

विषय सूची

निदेशक मंडल	02
अध्यक्ष का वक्तव्य	03
निदेशकों का प्रतिवेदन	04
नैगमिक शासन के बारे में रिपोर्ट	09
एनपीसीसी द्वारा क्रियान्वित परियोजनायें	11
दस वर्ष एक नज़र में	13
31 मार्च 2011 को तुलन पत्र	14
नकद प्रवाह विवरणिका	33
तुलन–पत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रुपरेखा	34
लेखा नीतियाँ	35
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	38
लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्धक वर्ग के उत्तर	45
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	47
कार्य क्षेत्र	48

निदेशक मंडल

ए.के. झाम्ब
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

ए.के. झाम्ब
निदेशक (इंजीनियरी)

रवीन्द्र गर्ग
निदेशक (वित्त)

सुधीर गर्ग
संयुक्त सचिव
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(अंशकालिक)

डा0 एम. के. सोनी
स्वतंत्र निदेशक
(अंशकालिक)

रिहान अहमद
स्वतंत्र निदेशक
(अंशकालिक)

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय अंशधारकों

आपकी कम्पनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल तथा अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है । 2010–11 की वित्तीय विशिष्टताएं तथा अंकेक्षित वार्षिक खाते पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूँ ।

मुख्य वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष के दौरान कम्पनी ने नई परियोजनाओं के निष्पादन में अच्छी खासी उन्नति और नए–नए क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्राप्त कर बहुत संवृद्धि हासिल की है । वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने 1082.42 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया जबकि गत वर्ष का कारोबार 1002.92 करोड़ रुपये था । यह संतोष की बात है कि वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता तथा विशेषकर निर्माण के क्षेत्र में बेहद प्रतियोगी माहौल के बावजूद आपकी कम्पनी ने लाभ की सुनिश्चित मात्रा के साथ कई नए क्षेत्रों में अच्छा खासा व्यापार हासिल किया है ।

भावी परिदृश्य

आने वाले दौर में ऊँची कीमत वाली उच्च प्रोद्यौगिकी युक्त परियोजनाओं का बोलबाला होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी रणनीतिक गठबंधन करने का प्रयास कर रही है जहाँ प्रत्येक पक्ष की शक्ति का उपयोग दूसरे पक्ष की शक्ति के पूरक तथा उक्त परियोजनाओं की गुणवत्ता के लिए किया जा सकता है।

कम्प्यूटरीकरण

अपनी अधिकांश कार्यप्रणाली ई–गवर्नेंस तंत्र के तहत लाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा ईआरपी हेतु पहल की गई है । बेहतर उत्पादन हेतु अधिकतम कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कामगारों को बहुकौशल बनाना

आपकी कम्पनी परियोजना निर्माण स्थल तथा उसके आस–पास विभिन्न स्थानों पर अकुशल कामगारों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना पर काम कर रही है । ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा न केवल कालान्तर में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ेगी, जोकि अभी कम है, बल्कि इसके द्वारा उनकी शक्ति में वृद्धि होगी जिससे वे अपनी आजीविका चलाने के साथ–साथ सम्मान तथा गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे ।

ग्राहक संतुष्टि

ग्राहक संतुष्टि सूचकांक गत वर्ष 91.14 प्रतिशत था जो इस वर्ष बढ़कर 92.36 प्रतिशत हो गया है । इस बढ़ोतरी से पता चलता है कि आपकी कम्पनी पर परियोजनाओं की गुणवत्ता तथा उन्हें समय पर एवं कम खर्च मे पूरा करने का दायित्व और बढ़ गया है। इसी का नतीजा है कि आपकी कम्पनी को अपने वर्तमान ग्राहकों से निर्माण हेतु पुनरादेश प्राप्त हो रहे हैं ।

आभार

किसी कम्पनी की उन्नति बहुत हद तक उसकी साख तथा लोगों के आन्तरिक एवं बाहरी सहयोग पर निर्भर करती है । मैं माननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार तथा मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन) का उनके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य मार्गदर्शन, सहयोग और सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जल संसाधन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों विशेषकर गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, बीआरपीएसई के अधिकारियों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से प्राप्त सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए मैं उनका आभारी हूँ ।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं इस सुअवसर पर सभी शेयरधारकों तथा हमारे मूल्यवान ग्राहकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्हें आश्वासन देता हूँ कि अपने हितधारकों के महत्व में सतत रुप से विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । मैं सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके प्रभावी अंशदान, कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे कंपनी की और अधिक उन्नति एवं विकास के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास जारी रखेंगे।

हम आप सभी से ऐसा ही समर्थन जारी रखने की अपेक्षा रखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे तथा मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी कम्पनी आगामी वर्षों में भी निरन्तर अपनी शानदार उपलब्धियां हासिल करती रहेगी।

(ए.के. झाम्ब)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
नई दिल्ली

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ उसके अंकेक्षित खातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है ।

मुख्य वित्तीय विशेषताएं :

वर्ष 2010–11 के दौरान आपके निगम द्वारा 1082.42 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया जो गतवर्ष के 1002.92 करोड रुपये के मुकाबले 7.93 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है । निगम ने पिछले वर्ष 30.97 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष टैक्स के बाद 32.09 करोड़ रुपये निवल लाभ अर्जित किया है। कम्पनी के वित्तीय परिणाम संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2010–11	2009–10
अन्य आमदनी सहित कारोबार	1082.42	1002.92
निर्माण तथा कार्य व्यय	1008.38	926.37
प्रचालन लाभ	74.04	76.55
प्रशासनिक खर्च आदि	53.59	44.06
कर चुकाने के पश्चात वर्ष लाभ (हानि)	32.09	30.97

*पिछले वर्षों के अंकों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत किया गया है

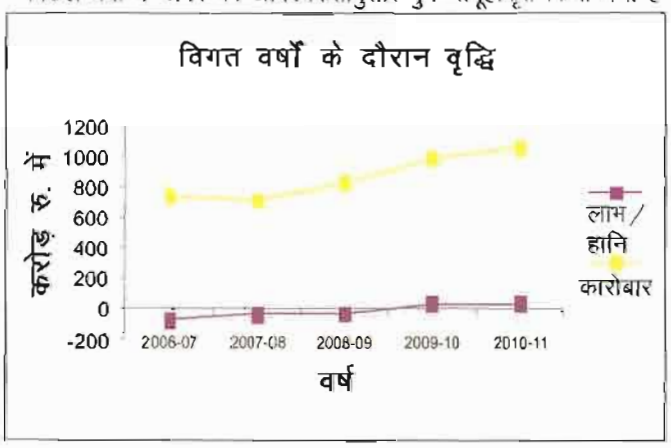

पूँजी का पुनर्गठन

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2008 में अनुमोदित पूँजी के पुनर्गठन की प्रक्रिया दिसम्बर 2010 में पूर्ण की जा चुकी है । तद्नुसार वित्त वर्ष के अन्त में आपकी कम्पनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 700 करोड़ रुपये तथा 94.53 करोड़ रुपये है ।

व्यापार विकास परिदृश्य

वर्ष 2010–11 के दौरान आपके निगम को 595.75 करोड़ रुपए मूल्य के नए निर्माण कार्य प्राप्त हुए हैं । 31 मार्च 2011 को प्राप्त कार्य आदेषों की स्थिति 3699.43 करोड़ रुपये थी । 31 मार्च 2010 को प्राप्त कार्य आदेशों की मजबूत स्थिति को देखते हुए मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान नया व्यापार हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान बिहार तथा झारखंड राज्यों में परियोजना प्रबन्धन परामर्शी आधार पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (जिसे अब भारत निर्माण के नाम से जाना जाता है) तथा गृह मंत्रालय से जुड़े निर्माण कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन तथा उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से आपकी कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ है। निगम के निष्पादन के आधार पर इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) द्वारा अमरकंटक, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर के निर्माण हेतु एनपीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस कार्य की लागत 250 करोड़ रुपए है। साथ ही, मणिपुर सरकार के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा सात स्कूलों तथा अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम सरकार की ओर से जे.एन. एन.यू.आर.एम. योजना के तहत आवासों के निर्माण कार्य निगम को प्रदान किए गए हैं। नागालैंड सरकार द्वारा जल निकायों तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों के विकास एवं ए.एन.एम. व जी.एन.एम. विद्यालयों के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

इसके अलावा आपके निगम को आयुष विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार, इग्नु एवं असम रायफल्स आदि की ओर से पुनरादेश प्राप्त हुए हैं ।

आपके निगम को ग्राहक संतुष्टि रेटिंग 92 प्रतिशत से भी अधिक प्राप्त हुई है जिसकी सहायता से हमें सम्मानित ग्राहकों से पुनरादेश प्राप्त हो रहे हैं ।

व्यापारिक रणनीति

1. ग्राहकों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हुए सक्रिय दृष्टिकोण।
2. कम्प्युटरीकृत परियोजना प्रबन्धन तथा प्रबोधन प्रणाली अपनाना।
3. परियोजना की लागत नियन्त्रित रखने हेतु परियोजना कार्यान्वयन दस्तावेज (पीआईडी) तैयार करना।

उपर्युक्त प्रणाली अपनाए जाने से एनपीसीसी अपनी परियोजनायें एवं गुणवत्ता अनुमोदित लागत के अंदर और समय पर पूर्ण कर रही है तथा उसके ग्राहकों की संतुष्टि पहले से अधिक है। इसका लाभ यह है कि इसे अपने सम्मानित ग्राहकों से पुनरादेश प्राप्त हो रहे हैं ।

मौजूदा ससाधनों का इष्टतम् उपयोग करने के लिए आपकी निगम विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ।

निर्माण सुरक्षा प्रबन्धन

निगम के सभी परियोजना स्थलों पर कामकाज हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धन पूर्णतः प्रतिबद्ध है । सुरक्षा प्रबन्धन के बारे में अधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

एनपीसीसी द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए मंत्रालय के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । वर्ष 2010–11 के दौरान हासिल किए गए समझौता ज्ञापन के प्रमुख पैरामीटर इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.		समझौता ज्ञापन के बजट के लक्ष्य (वर्ष 2010–11 हेतु पैरामीटर)	हासिल
1	कारोबार	895	1061.30
2	सकल मार्जिन	14.11	32.62
3	निवल लाभ	11.86	32.09

वर्ष 2010.11 के दौरान निगम को "बहुत अच्छी" श्रेणी प्राप्त होने की संभावना है ।

राजभाषा का प्रचार–प्रसार

आपके निगम द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के कार्यान्वयन हेतु सतत् रूप से गंभीर प्रयास जारी रखे गए । वर्ष के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखा गया जिनमें एनपीसीसी में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों द्वारा सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में हिन्दी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना भी शामिल थी। यह योजना बहुत लोकप्रिय रही है ।

केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी दिवस/पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगितायें जैसे सामान्य हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता, हिन्दी पत्र तथा टिप्पण लेखन प्रतियोगिता तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

सतर्कता सम्बन्धी गतिविधियाँ

कम्पनी का एक पूर्णतः सुसज्जित सतर्कता प्रभाग है। यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम करने के बारे में कर्मचारियों में आवश्यक जागरूकता लाने हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। संगठन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सतर्कता प्रभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों को समय–समय पर कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए परिचालित भी करता है ।

सतर्कता अनुभाग श्री एस.के. आहुजा, मुख्य सतर्कता अधिकारी वेपकोस के अधीन 29.06.2010 तक कार्यरत रहा जिनके पास निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था । श्री एस.सी गर्ग, सयुक्त महाप्रबन्धक, एनपीसीसी ने दिनांक 29.6.2010 से 05.04 2011 तक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कामकाज़ देखा जब श्री ए.एन. प्रसाद, आईएफएस द्वारा 5.4.2011 को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया ।

विभिन्न कार्यशालायें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा कम्पनी में 25 अक्टुबर 2010 से 01 नवम्बर 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

एनपीसीसी सतर्कता विभाग द्वारा विशेषकर उत्तर–पूर्व तथा दूर–दराज के इलाकों में कार्यरत निगम के कार्यपालकों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को सुलभ कराने हेतु पुस्तक के आकार में परिचालित कराया गया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कम्पनी द्वारा विभिन्न दस्तावेज़/रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं । प्राप्त आवेदन–पत्रों पर तेजी से कार्रवाई की गई तथा आवेदनकर्त्ता को सूचना उपलब्ध कराई गई। सहायक जनसूचना अधिकारी व जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी–1 के अलावा एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में अभिहित किया गया है। सूचना उपलब्ध कराते समय अधिकतम् पारदर्शिता बरती जाती है। देश भर से प्राप्त सूचना का निपटारा निगम में एकल खिड़की प्रणाली के तहत केंन्द्रीय स्तर पर किया जाता है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांगों के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों तथा दिशा–निर्देशों के तहत उन्हें विशेषाधिकार मुहैया कराने के लिए निगम प्रयासरत है।

परियोजना प्रबन्धन और समन्वय

इनके लिए कारपोरेट स्तर पर महाप्रबन्धक (पीएमएंडसी) के नेतृत्व में एक स्वतंत्र प्रभाग कार्यरत है जो चल रहे समस्त परियोजना कार्यो का प्रबन्धन करता है तथा परियोजनाओं के शीघ्रतम निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। यह प्रभाग परियोजनाओं को उनकी विष्टिताओं के अनुरूप निर्धारित समय सीमा एवं लागत में निष्पादित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के परियोजना प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करता है । ग्राहकों की अधिकतम् संतुष्टि के लिए परियोजना प्रबंधन तथा समन्वय प्रभाग, ग्राहकों तथा परियोजना स्थलों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए जोनल मैनेजरों के साथ बातचीत करता है । लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए यह प्रभाग प्रणाली तथा पद्धतियों में सतत् रूप से सुधार हेतु सुझाव भी देता है ।

अनुच्छेद 217 (2क) के अन्तर्गत कर्मचारियों का विवरण

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने से सम्बन्धित विवरण "शून्य" है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्यौगिकी समेकन और विदेशी विनिमय आगम और निर्गम

कम्पनी अधिनियम 1956 के खण्ड 217 (1) (ड) के साथ पठित कंपनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के तहत वांछित सूचनाएं "शून्य" हैं ।

औद्योगिक सम्बन्ध

विभिन्न बाध्यताओं के बावजूद वर्ष के दौरान कर्मचारियों तथा प्रबन्धन के बीच सम्बन्ध कुल मिलाकर सद्भावना तथा सौहार्दपूर्ण रहे । औद्योगिक सद्भावना बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मजदूरी संशोधन के बारे मे छठे/सातवें दौर की वार्ता को अंतिम रूप दिया गया तथा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

मानव संसाधन और विकास

किसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति उसके कर्मचारी होते है तथा उनके बीच निष्पादन उत्कृष्टता, नवोन्वेषण तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल होना बहुत आवश्यक है । कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने पर निगम द्वारा ध्यान केन्द्रित किया गया । एनपीसीसी की मानव पूंजी की सक्षमता के विकास, प्रशिक्षित तथा उसे बहुआयामी बनाने के प्रयास निगम द्वारा किए जाते रहे हैं ताकि उन्हें कोई भी चुनौतीपूर्ण कामकाज सौंपा जा सके ।

अपने कार्मिकों के विकास हेतु कम्पनी निरंतर खर्च कर रही है । सामूहिक ज्ञान की सम्पत्ति को वांछित स्तर तक निर्मित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए भेजा जाता है । वित्तीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति पर निगम की नामावली में कुल 1743 कर्मचारी थे जिनका विवरण निम्नलिखित हैं :–

विवरण	पुरूष	महिला	योग
कार्यपालक	302	12	314
अकार्यपालक	320	40	360
कामगार	1060	9	1069
कुल	1682	61	1743

कारपोरेट आफिस की इमारत

श्री सलमान खुर्शीद, माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा 22 मार्च 2011 को गुड़गांव में आपकी कम्पनी के भवन परिसर की आधारशिला रखी गई । उनके साथ माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री श्री विन्सेंट एच.पाला तथा श्री ध्रुव विजय सिंह , सचिव जल संसाधन मंत्रालय भी मौजूद थे।

अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सिविल क्षेत्र की आधारिक संरचनाओ जैसे पुलों, भवनों, नगर–क्षेत्रो, सड़कों, बाँधों, सिंचाई नहरों तथा

ऊर्जा क्षेत्र की चिन्हित निविदाओं में भाग लेने के लिए टीसीआईएल के साथ आपके निगम द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत निर्माण कार्य प्राप्त हो जाने पर टीसीआईएल तथा एनपीसीसी संयुक्त रूप से उसे आपसी विशिष्टता के साथ निष्पादित करेंगे ।

दूसरा समझौता वेपकोस के साथ किया गया जिसके तहत भारत तथा विदेशों में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति आदि से जुड़ी

आधारभूत परियोजाओं की संयुक्त रूप से पहचान करके बोली लगाई जाएगी तथा बाद में संयुक्त रूप से उन्हें निष्पादित किया जाएगा ।

पुरस्कार

योजना आयोग द्वारा स्थापित निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा आपके निगम को सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रबंध करने वाली कम्पनी की मान्यता देते हुए 07 मार्च 2011 को इंडिया हेबीटाट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इसे तीसरा विश्वकर्मा पुरस्कार 2011 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आपके निगम के अध्यक्ष श्री ए.के. झाम्ब ने ग्रहण किया ।

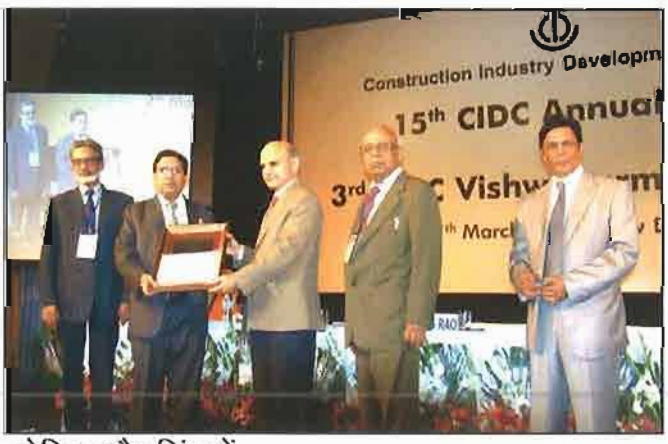

जोखिम और चिंतायें

निर्माण उद्योग में लागत में उतार–चढ़ाव, परियोजनाओं का समय पर पूरा होना तथा सरकारी नीतियों में परिवर्तन मुख्य चिन्ता की बात है जिसके कारण परियोजना के समय और लागत में बढ़ोतरी का जोखिम बना रहता है जिनकी भरपाई ग्राहकों द्वारा कभी कभार ही की जाती है जिसके द्वारा आपकी कंपनी को घाटा उठाना पड़ता है ।

खतरनाक भौगोलिक क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं के लिए जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। हाँलाकि राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में प्रतिष्ठित परियोजनाओं का निष्पादन करना हमारे लिए गौरव की बात है । ऐसे सभी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा, सुविधायें और बीमा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा उपाय किए गए हैं ।

भावी दृष्टिकोण

भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना में आधारभूत सुविधाओं के लिए बड़ी मात्रा में निधिया आबटित की गई हैं। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास, मेट्रो, हवाई अड्डों तथा सीमा पर निर्माण कार्यो में बड़ी धनराशि निवेश की जानी है किन्तु वैश्विक वित्तीय उथल–पुथल के चलते यह निश्चित नहीं है कि भारत सरकार अनुमोदित योजनाओं के लिए धन जारी करेगी अथवा नहीं। आपकी कंपनी विभिन्न मंत्रालयो, सरकारी विभागों, संगठनों की एक "विस्तारित इंजीनियरी भुजा" के रूप में परियोजनाओं का निष्पादन करती रही है तथा वर्तमान में भी कर रही है । आपकी कंपनी ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयो तथा राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए नियोजित निधियों का तेजी से उपयोग करने में सहायता कर रही है। आपकी कंपनी कुछ नए क्षेत्रों जैसे रीयल एस्टेट, जल शोधन सयंत्र, मल–जल शोधन संयंत्र, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा अक्षय ऊर्जा संसाधनों में कदम रखकर कार्य में विविधता लाने की योजना बना रही है ।

बाधायें

यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधायी ढांचे के भीतर रहते हुए काम करना पड़ता है किन्तु आपकी कम्पनी को एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के कारण कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है (जो निजी क्षेत्र की कम्पनियो पर लागू नहीं होती) जिनसे प्रतियोगी बाजार में इसे नुकसान उठाना पड़ता है। निजी कम्पनियों (यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) के कामकाज की तरह यहाँ तेजी से निर्णय नहीं लिए जाते जिसके कारण व्यापार के नए सुअवसरों का लाभ हम तेजी से नहीं उठा पाते।

पिछले दो वर्षों में आपकी कम्पनी द्वारा घाटे से उबरकर लाभ अर्जित किया गया फिर भी इसकी निवल योग्यता ऋणात्मक बनी हुई है तथा बैंक गारंटी की कोई सीमाएं नहीं है जिसके कारण

कम्पनी इसका लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर है ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217 (2कक) की आवश्यकताओं की अनुपालना मे निगम के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक खातों को तैयार करते समय निगम में लागू होने वाले लेखा मानकों के साथ–साथ सामग्री भेजने के सम्बन्ध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है ।
- निदेशकों ने लेखा नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा भेजी गई सामग्री का प्रकटीकरण हुआ है । उनके द्वारा लिए गए निर्णय और प्राक्कलन सुविचारित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति पर निगम के कार्यकलापों तथा उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ–हानि खातों के बारे में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके ।
- निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातों के रखरखाव पर पर्याप्त तथा उचित ध्यान दिया गया है ताकि कम्पनी की परिसम्पत्तियों का बचाव हो सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाकर निवारण किया जा सके ।
- निदेशकों ने वार्षिक खातों को इस संकल्पना के साथ तैयार किया है कि "कम्पनी अभी चलेगी।"

लेखा परीक्षक

निगम के वर्ष 2010–11 के खातों की लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स एल.सी. कैलाश एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकारों को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है । मैसर्स पदम जैन एंड, कंपनी सनदी लेखाकारों को गुवाहाटी के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है । मैसर्स वरदराजन एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, चेन्नई, मैसर्स के. एंड के. एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार, कोलकाता पश्चिम बंगाल, शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में अपना कामकाज जारी रखेंगे ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए निगम के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर प्रतिवेदन के अंगरूप में अलग से अनुबंध में दिये गये है ।

आभार

आपके निदेशक, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय, तथा उसके अन्य मंत्रालयों/संगठनों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त समर्थन, सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं ।

भारत के महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, बैंकरों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सहयोग के लिए आपके निदेशक उनके आभारी है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रार से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक मंडल हृदय से उनकी प्रशंसा करता है ।

आपके निदेशक अपने सलाहकारों, ठेकेदारों उप–ठेकेदारों तथा विक्रेताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके सहयोग से निगम की विभिन्न परियोजनाऐं निष्पादित हुई ।

इस सुअवसर पर आपके निदेशक, एनपीसीसी परिवार के उन सभी सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करते हैं जिन्होंने निगम के विकास और उन्नति के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास किए हैं ।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(ए.के. झाम्ब)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 05.12.2011

नैगमिक शासन के बारे में रिपोर्ट

नैगमिक शासन सम्बन्धी कम्पनी का दृष्टिकोण

नैगमिक शासन का हमारा दर्शन मूलरूप से इस विश्वास पर आधारित है कि व्यावसायिक रणनीतियां तथा योजनाएं हमारे अंशधारको के लिए कल्याणकारी हों । हम नैगमिक शासन के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में कार्यपालक तथा अकार्यपालक निदेशकों का उत्कृष्ट संयोजन है। 31 मार्च 2011 को निदेशक मंडल में कुल पाच निदेशक थे जिनमें शामिल थे यथा (1) दो पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक – निदेशक (इंजीनियरी) तथा निदेशक (वित्त) (2) एक सरकारी निदेशक (3) दो गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक। संघ के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 81 (ग) के अनुसार प्रबन्धन, लेखा तथा इंजीनियरी के क्षेत्र के विशेषज्ञों को ही स्वतंत्र निदेशकों के रूप में रखा जाता है । मंडल में नामांकित निदेशक की नियुक्ति कम्पनियों के संघ के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 81(क) के अनुरूप भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अरबिन्द कुमार द्वारा 27 अप्रैल 2010 को अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण किए जाने के उपरान्त श्री ए.बी. पण्डया, आयुक्त (परियोजना) जल संसाधन मंत्रालय ने तीन महीने की अवधि के लिए एनपीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

श्री ए.बी. पण्डया का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात निगम के निदेशक (इंजीनियरी) श्री ए.के. झाम्ब को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पदभार सोंपा गया जो 31.03.2011 तक जारी रहा।

श्री राम मोहन मिश्रा, संयुक्त सचिव (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय से 27.04.10 को कार्यमुक्त किए गए तत्पश्चात वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे ।

श्री सतपाल, संयुक्त सचिव को एनपीसीसी के निदेशक मंडल हेतु अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया और वे 20.05.2010 से 30.06.2010 तक कम्पनी से जुड़े रहे।

श्री सुधीर गर्ग (आईएएस) संयुक्त सचिव (प्रशा.) जल संसाधन मंत्रालय को 20.7.10 से एनपीसीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु नामित किया गया है ।

मंडल की बैठकें नियमित अंतरालों पर होती है। इस समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठके 29.06.2010, 25.08.2010, 08.10.2010, 24.11.2010 तथा 04.03.2011 को हुई। मंडल की बैठकों के आयोजन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम 1956 के अद्यतन संशोधित प्रावधानों का उचित प्रकार से पालन किया गया है ।

निदेशक मंडल के गठन, सदस्यों के कार्यकाल, निदेशकों की श्रेणी, मंडल की बैठक में उनकी उपस्थिति, वर्ष 2010–2011 के दौरान निदेशक मंडल की आम तथा अन्य सभाओं का विवरण इस प्रकार है :

निदेशकों का नाम	बैठक में उपस्थिति	वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद	अवधि
(क) प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री अरबिन्द कुमार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	शून्य	लागू नहीं	शून्य	27.04.2010 तक
श्री ए.बी. पण्डया अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1/1	लागू नहीं	शून्य	03 05.2010 से 02.08.11 तक
श्री ए.के. झाम्ब अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	4/4	हाँ	शून्य	04.08.2010 से 31.03.11 तक
श्री ए.के. झाम्ब निदेशक (इंजीनियरी)	5/5	हाँ	शून्य	पूरा वर्ष
श्री रवीन्द्र गर्ग निदेशक (वित्त)	5/5	हाँ	शून्य	पूरा वर्ष
(ख) सरकार द्वारा नामित				
श्री राम मोहन मिश्रा संयुक्त सचिव जल संसाधन मंत्रालय	शून्य	लागू नहीं	1	27.04.2010 तक
श्री सतपाल	0/1	लागू नहीं	1	20.05.2010 से 30.06.2010
श्री सुधीर गर्ग	4/4	हाँ	1	20.07.2010 से
(ग) स्वतन्त्र निदेशक				
श्री रिहान अहमद	2/2	नहीं	शून्य	16.11.2010 से
डा. एम.के. सोनी	2/2	नहीं	शून्य	16.11.2010 से

स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक

दो विशिष्ट क्षेत्रों, वित्त तथा इंजीनियरी में सुविज्ञता रखने वाले दो स्वतंत्र निदेशकों को 16.11.2010 को एनपीसीसी निदेशक

मंडल में नियुक्त किया गया। वे अपने श्रेष्ठ अनुभव द्वारा निदेशक मंडल का मार्ग–दर्शन कर रहे हैं जिससे नैगमिक उत्कृष्टता हेतु किए जाने वाले सुधार में लम्बी अवधि तक लाभ होगा ।

मंडल की समितियाँ:

नैगमिक प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाते हुए एनपीसीसी के निदेशक मंडल ने अपनी 265वीं बैठक में सीपीएसई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपनी सहायता के लिए इन समितियों का पुनर्गठन किया है। ये समितियां इस प्रकार थीं :–

- लेखा परीक्षा समिति
- स्थापना समिति

नैगमिक शासन के बारे मे केन्द्रीय सार्वजनिक कम्पनियों (सीपीएसई) हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निगम के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24.11.2010 को सम्पन्न अपनी 256वीं बैठक में लेखा–परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें समिति के लिए वही नियम व संदर्भ रखे गए जिनका प्रस्ताव दिशा–निर्देशों में किया गया है ।

नाम	पदनाम	श्रेणी
श्री रिहान अहमद	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
डा. एम.के. सोनी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
श्री ए.के. झाम्ब	सदस्य	निदेशक (इंजीनियरी)

निदेशकों का पारिश्रमिक

वर्ष 2010–11 के दौरान बैठकों में शामिल होने पर स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किया गया शुल्क इस प्रकार है :

नाम एवं पदनाम	बैठकों हेतु प्रदत्त शुल्क (राशि रूपयों में)
श्री रिहान अहमद, स्वतंत्र निदेशक	35000
डा. एम.के. सोनी, स्वतंत्र निदेशक	35000

आम बैठकें

विगत तीन वर्षों में सम्पन्न हुई वार्षिक आम बैठको/ असाधारण आम बैठको का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2009–10	29.12.2010	3.00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2008–09	30.12.2009	12.00 दोपहर	पंजीकृत कार्यालय
2007–08	31.12.2008	2.00 अपराह्न	स्कोप कनवेंशन सैंटर

वर्ष 2010–11 के दौरान कोई असाधारण आम सभा आयोजित नहीं हुई ।

अंकेक्षण योग्यता

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के खातों पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां तथा उन पर कंपनी की टिप्पणियां निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ परिशिष्ट में अलग से दी गई हैं ।

अंशधारकों के साथ संपर्क के साधन

कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूँजी भारत सरकार तथा 14 राज्य सरकारों के पास है। कम्पनी की प्रदत्त पूँजी का बड़ा हिस्सा अर्थात 98.89 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा शेष 1.11 प्रतिशत 14 राज्य सरकारों के पास है। अपने अंशधारकों की सूचना के लिए कंपनी अपनी सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट तथा अशधारकों से जुड़े अन्य कागज़ात भौतिक रूप में भी उन्हें नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।

एनपीसीसी
द्वारा क्रियान्वित कुछ परियोजनायें

आरटीआई प्राध्यापक आवास, रामगढ़

भारत–बांगलादेश सीमा बाड़बंदी

पेंटल स्मारक सभागार, दिल्ली

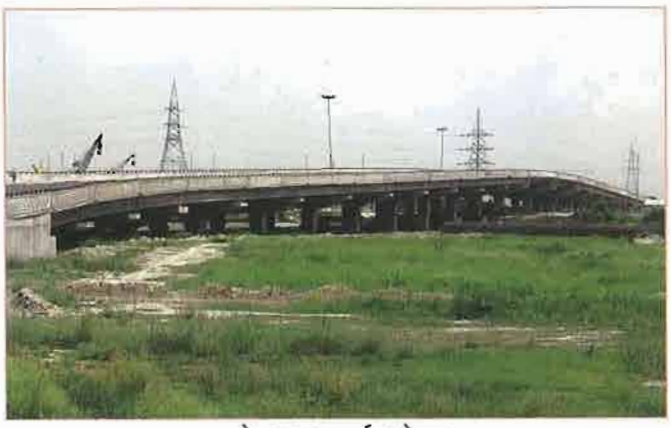

नोएड़ा फ्लाई ओवर

जल आपूर्ति योजना, सिंगरौली, उत्तर प्रदेश

थर्मल पावर स्टेशन, न्यू पर्ली

एनपीसीसी
द्वारा क्रियान्वित कुछ परियोजनायें

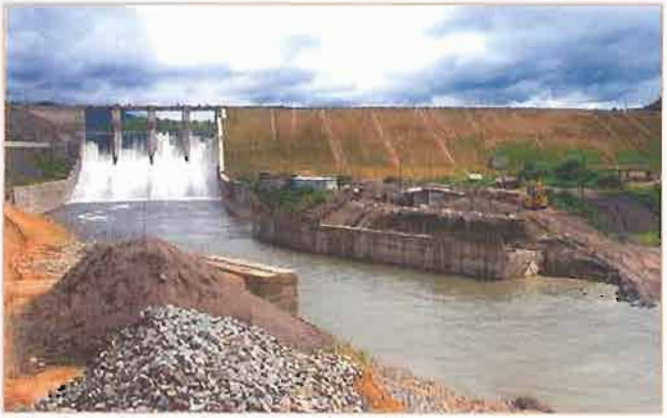

खुग्गा बांध, मणिपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिक्रम से सादिसोपुर

टी5 पी2 पोर्टल सुरंग का विकास, रियासी

शौर्य सभागार, सीआरपीएफ, नई दिल्ली

पुलिस लाइन अकादमी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

जल उपचार संयंत्र, बागलकोट, कर्नाटक

31 मार्च 2011 को तुलन पत्र

(घनराशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची		31.3.2011 को स्थिति		31.3.2010 को स्थिति
निधियों के स्रोत					
1. अंशधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	"क"		**945316000**		6767375000
2. ऋण निधियाँ					
क) प्रतिभूतित ऋण	"ख"		**52419180**		52639580
ख) अप्रतिभूतित ऋण	"ग"		**939942734**		806174995
			1937677914		7626189575
निधियों का उपयोग	"घ"				
1. स्थिर परिसम्पत्तियाँ:					
क) सकल ब्लाक			**455680439**		484064799
ख) घटायें : मूल्यह्रास			**381895472**		407881063
ग) निवल ब्लाक			**73784967**		76183736
2. निवेश	"ड."		**15000**		15000
3. आस्थगित राजस्व परिसम्पत्ति			**467333414**		60829325
4. चालू परिसम्पत्तियाँ,ऋण और अग्रिम :	"च"				
क) वस्तुसूचियां		32742717		35425717	
ख) विविध ऋण		7410851642		5653779353	
ग) नकद एवं बैंक शेष		6034999895		4506944191	
घ) अन्य चालू आस्तियां		54682305		46239460	
ड़) ऋण एवं अग्रिम		1715681361		1315353366	
		15248957920		11557742087	
घटायें : चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	"छ"				
क) देनदारियां		14962297301		11675163377	
ख) प्रावधान		290278171		312398662	
ग) अंतर यूनिट शेष		5223663		35905087	
		15257799135		12023467126	
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ			**–8841215**		–465725039
5. क) विविध ऋण					
(न ही बट्टे खाते में डाले गए न ही समायोजित)	"ज"		**0**		0
ख) लाभ व हानि खाता			**1405385748**		7954886553
			1937677914		7626189575
लेखों पर टिप्पणियां	"थ"				

उपर्युक्त अनुसूचियां और लेखा नीतियां, तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।

(रजनी अग्रवाल)	(रवीन्द्र गर्ग)	(ए.के. झाम्ब)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एल.सी. कैलाश एण्ड एसोशियेटस
सनदी लेखाकार

एल.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 005122
फर्म सं. 01811एन

नई दिल्ली
दिनांक : 05.12.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में लाभ व हानि खाता

(घनराशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची		2010–2011	2009–2010
आय:				
वर्ष में किया गया कार्य			**10613018066**	9911064145
निगम के लिए किए गए कार्य का मूल्य			**224780**	1171099
अन्य आय	"झ"		**210914744**	116981816
		योग:	**10824157590**	10029217060
व्यय:				
निर्माण एवं कार्यों पर खर्च	"त्र"		**10083835700**	9263736267
कार्मिक	"ट"		**386074696**	280802608
प्रशासन	"ठ"		**40004486**	42746560
अन्य आय	"ड"		**56367543**	50354787
प्रावधान	"ढ"		**53420831**	66609877
		योग:	**10619703256**	9704250099
ब्याज और कर से पहले लाभ / हानि (–)			**204454334**	324966961
घटाए : ब्याज	"ण"		**29100675**	39854367
जोड़ें: पिछली अवधि के समायोजन (निवल)	"त"		**6323838**	.2322653
जोड़ें: वापिस लिये प्रावधान / देयतायें			**139260219**	26945214
कर से पहले लाभ / हानि (–)			**320937716**	309735155
कर का प्रावधान				
1. आय कर			**0**	0
2. सीमांत अनुलाभ कर			**0**	0
वर्ष में कर पश्चात लाभ / हानि (–)			**320937716**	309735155
आस्थगित कर			**406504089**	3149087
कर के पश्चात निवल लाभ			**727441805**	312884242
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ / हानि (–)		**–7954886553**		
घटायें: इक्विटी शेयर पूंजी की कटोती के विरूद्ध समायोजन		**5822059000**	**–2132827553**	–8267770795
तुलन–पत्र में ले जाया गया			**–1405385748**	–7954886553
खातों पर टिप्पणियां	"थ"			
मूल प्रति शेयर आय			**60.92**	76.07
परिसमाप्त प्रति शेयर आय			**60.92**	76.07

उपर्युक्त अनुसूचियां और लेखा नीतियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं ।

(रजनी अग्रवाल)	(रवीन्द्र गर्ग)	(ए.के. झाम्ब)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एल.सी. कैलाश एण्ड एसोशियेटस
सनदी लेखाकार

एल.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 005122
फर्म सं. 01811एन

नई दिल्ली
दिनांक : 05.12.2011

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची "क"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	31.3.2011 को स्थिति	31.3.2010 को स्थिति
शेयर पूंजी		
प्राधिकृतः		
1000/–रुपये प्रत्येक के 7000000 इक्विटी शेयर		
(गत वर्ष 1000/–रुपये प्रत्येक के		
7000000 इक्विटी शेयर)	7000000000	7000000000
जारी किए गए, अभिदत्त एवं प्रदत्तः		
1000/–रुपये प्रत्येक के 945316 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		
(गत वर्ष 1000/–रुपये के 6767375 के इक्विटी शेयर		
जिसमें से 1000 रुपये के 5822059 शेयरों को पूंजी में कटौती		
द्वारा रद्द कर दिया गया है)	945316000	6767375000
योग :	945316000	6767375000

अनुसूची–"ख"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	31.3.2011 को स्थिति	313.2010 को स्थिति
प्रतिभूतित ऋण		
क) मशीनों, उपस्करों तथा वाहनो को बंधक रखकर परियोजना प्रधिकरणों से प्राप्त	33021798	32090458
ख) जोड़ें: अर्जित एवं देय ब्याज	19397382	20549122
योगः	52419180	52639580

अनुसूची–"ग"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		31.3.2011 को स्थिति		31.3.2010 को स्थिति
अप्रतिभूतित ऋण				
क) दीर्घकालीन ऋण				
1) भारत सरकार से	0		0	
जोड़ें: अर्जित एवं देय ब्याज	100296065	100296065	100296065	100296065
ख) अल्पकालीन ऋण (कार्य बिलों के लिये समायोजन योग्य))				
2) परियोजना प्राधिकरणों से (बंदोबस्ती एवं अन्य अग्रिम)	550511564		429302293	
जोड़ें: अर्जित एवं देय ब्याज	289135105	839646669	276576637	705878930
योग:		939942734		806174995

अनुसूची 'घ'

अचल परिसम्पत्तियां

(धनराशि रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				घटायें: मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		31.3.2010 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.3.2011 को स्थिति	31.3.2010 को स्थिति	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.3.2011 तक स्थिति	31.3.2011 को स्थिति	31.3.2010 को स्थिति
1	फ्री होल्ड भूमि	23372849	0	0	**23372849**	0	0	0	**0**	**23372849**	23372849
2	पट्टे पर भूमि	4091830	519012	0	**4610842**	709196	12679	0	**721875**	**3888967**	3382634
3	फ्री होल्ड भूमि पर भवन	3403319	1651684	0	**5055003**	1184753	55474	0	**1240227**	**3814776**	2218566
4	पट्टे की भूमि पर भवन	3013754	0	0	**3013754**	986819	37447	0	**1024266**	**1989488**	2026935
5	अस्थायी निर्माण	96006319	0	0	**96006319**	96006319	0	0	**96006319**	**0**	0
6	मशीनें	242155756	343180	19937977	**222560959**	221025203	1058550	18488051	**203595702**	**18965257**	21130553
7	वाहन	38314808	363664	3338433	**35340039**	27963822	1916863	3171511	**26709174**	**8630865**	10350986
8	निर्माण उपस्कर	42501241	136432	8107976	**34529697**	37433696	419433	7855012	**29998117**	**4531580**	5067545
9	कार्यालय का फर्नीचर व उपस्कर	30698355	2043867	2072161	**30670061**	22158313	1861643	1856430	**22163526**	**8506535**	8540042
10	लाइब्रेरी की पुस्तकें	506568	15908	1560	**520916**	412942	24210	886	**436266**	**84650**	93626
	योग:	**484064799**	**5073747**	**33458107**	**455680439**	**407881063**	**5386299**	**31371890**	**381895472**	**73784967**	**76183736**
	विगत वर्ष:	**511720372**	**3718141**	**31373714**	**484064799**	**431582250**	**6324370**	**30025557**	**407881063**	76183736	80138122

टिप्पणी: 1. क्रम सं. 3 पर उल्लिखित फ्री होल्ड भूमि पर भवन वर्ष के दौरान शामिल हुआ है जहा 1651684 रु का कार्य जारी है ।

2. क्रम सं. 2 पर उल्लिखित वर्ष के दौरान पट्टे पर भूमि में वृद्धि विगत वर्षों में पट्टे पर भूमि के मूल्यह्रास के लिए किये गए प्रावधान को वापिस लिये जाने को दर्शाता है।

अनुसूची "ड."

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	31.3.2011 को स्थिति	31.3.2010 को स्थिति
निवेश		
निवेश (लागत पर)		
सरकारी प्रतिभूतियों में		
दीर्घकालीन		
गैर व्यापारिक/अकथ्य:	**15000**	15000
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (अंकित मूल्य 15000 रू0)		
(परियोजना प्राधिकरणों के पास जमानत के रूप में)		
योग :	**15000**	15000

अनुसूची "च"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		31.3.2011 को स्थिति		31.3.2010 को स्थिति
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
क. चालू आस्तियाँ:				
1 वस्तुसूचियां (लागत पर):				
स्टोर्स एवं स्पेयर्स (स्थल पर और मार्गस्थ सहित हाथ में निर्माण सामग्री) लागत (पहले आया पहले गया) पर	32697364		35369479	
		32697364		35369479
2 औजार एवं उपकरण 5 प्रतिशत लागत पर (मार्गस्थ सहित)		**45353**		56238
3 विविध ऋण (अप्रतिभूतित जो कि जब तक कुछ और न कहा जाए उचित समझा जाए)				
क) छ महीने से अधिक अवधि से बकाया ऋण :				
उचित समझे गए	1517772536		606656745	
सदेहास्पद समझे गए	816558298		889195574	
	2334330834		1495852319	
घटायें: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान:	816558298		889195574	
	1517772536		606656745	
ख) उचित समझे गए (अन्य ऋण)	5427235289		4582660970	
	6945007825		5189317715	
ग) परियोजना प्राधिकरणों को प्रदत्त सेवाओं आदि पर वसूली योग्य	465843817		464461638	
		7410851642		5653779353
4 नकद व बैंक शेष:				
क) 1) हाथ में नकद	5922594		1185439	
2) हाथ में चैक	362096137		12039317	
	368018731		13224756	

जारी...

अनुसूची "च" जारी.....

(धनराशि रुपयो में)

विवरण			31.3.2011 को स्थिति		31.3.2010 को स्थिति
ख)	अनुसूचित बैंकों में शेष :				
	1) चालू खातों में	2233645858		2641755837	
	2) सावधि जमा / बचत खातों में (स्टाफ की प्रतिभूति विपर्यय)	2449389		2174806	
	3) बैंकों के पास सावधि जमा	3432865749		1851768624	
	घटायें: प्रावधान	1985841		1985841	
			5666975155	4493713426	
ग)	गैर अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में शेष :				
	1) रफीदियन बैंक, इराक	15850381		15850381	
	2) रशीद बैंक, इराक	22518777		22518777	
	3) नेपाल बैंक लि0 नेपाल	6009		6009	
		38375167		38375167	
	घटायें: प्रावधान	38369158		38369158	
			6009	6009	
			6034999895		4506944191
5	अन्य चालू आस्तियाँ प्राप्त होने योग्य ब्याज		**54682305**		46239460
	उप योग:		**13533276559**		10242388721
ख) ऋण व अग्रिम:					
	(कोई उल्लेख न हो तो उचित समझा जाए)				
1	अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो नकद या वस्तु के रूप में वसूल की जानी है अथवा प्राप्त होने वाली रकमें				
	क. निगम द्वारा रखी प्र ज. के लिए सुरक्षित		90024484	97237040	
	ख. अन्य उचित समझे गए	1078855233		686495585	
	संदेहास्पद समझे गए	191701158		202701515	
		1270556391		889197100	
	घटायें : प्रावधान	191701158		202701515	
			1078855233	686495585	
2	निदेशकों को अग्रिम		0	0	
3	परियोजना प्राधिकरणों के पास जमा प्रतिभूति	632957033		609813748	
	घटायें : प्रावधान	95723111		95723111	
			537233922	514090637	
4	अन्य के पास जमा प्रतिभूति	9140333		8822572	
	घटायें : प्रावधान	2377719		2377719	
			6762614	6444853	
5	कर का अग्रिम एवं अस्थायी भुगतान		2805108	11085251	
			1715681361		1315353366
	कुल योग: (क+ख)		**15248957920**		11557742087

अनुसूची "छ"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण			31.3.2011 को स्थिति		31.3.2010 को स्थिति
चालू दायित्व एवं					
प्रावधानः					
क. चालू दायित्वः					
1) विविध जमा		961607416		864147663	
क उप ठेकेदारों से	760880963				
ख आपूतिकर्ताओं से	32373889				
ग अन्य से	168352564				
2) धरोहर राशि/					
धरोहर राशि प्रतिभूति जमाः					
क) कर्मचारियों से (ब्याज सहित)		2554127		2369698	
ख) उप ठेकेदारों से		1296838050		1151459606	
3) अन्य चालू देनदारियां		11261049069		8040183179	
4) कामगारों की क्षतिपूर्ति एवं					
सेवांत लाभ हेतु		26922		46122	
5) व्यापार/वाणिज्यिक कर हेतु		38397103		28091719	
6) सामग्री एवं ठेकेदारों को अन्य देयताओं हेतु		1401824614		1588865390	
			14962297301		11675163377
ख. प्रावधानः					
1) स्टोर्स/स्पेयर्स तथा मशीनों की					
हानि के लिए		14506848		36921288	
2). अप्रयुक्त स्टोर्स व स्पेयर्स हेतु		6371595		6077064	
3) सेवानिवृति अनुलाभ–उपदान		141703366		141975951	
4) सेवानिवृति अनुलाभ–छुटिटयों का नकदीकरण		127696362		127406359	
5) अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु		0		18000	
			290278171		312398662
ग. अंतर यूनिट प्रेषण खाते में मिलान न हुई और प्रतिक्रियाविहीन प्रविष्टियों के लिये निवल देयता			5223663		35905087
		योग :	**15257799135**		**12023467126**

अनुसूची "ज"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	31.3.2011 को स्थिति	31.3.2010 को स्थिति
विविध व्यय:		
(उस सीमा तक जो बट्टे में नहीं डाले गए या जिनका समायोजन नहीं किया गया)		
आस्थगित राजस्व व्यय	**0**	0

अनुसूची "झ"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		2010–2011		2009–2010
अन्य आय:				
विविध प्राप्तियाँ		**16716767**		20359811
(निविदा प्रपत्रों की बिक्री से)				
ब्याज प्राप्ति (सकल):				
क) बैंको में जमा	114635886		68248467	
ख) अन्य	46444826		15895848	
		161080712		84144315
स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ		**5401256**		5523568
वापस लिए प्रावधान/देयताएं		**139260219**		26945214
मशीनों का किराया		**3383849**		213411
कबाड़ (स्क्रेप), भंडारों आदि की बिक्री पर हुआ लाभ		**1548004**		4115430
वापस लिए दावारहित जमा शेष		**22784156**		2625281
	योग:	**350174963**		**143927030**

अनुसूची "त्र"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		2010–2011		2009–2010
निर्माण और निर्माण कार्यो पर व्ययः				
प्रयुक्त सामग्री :				
आरम्भिक शेष– स्टोर्स व स्पोयर्स इसमे हाथ में, कार्यस्थल पर एवं मार्गस्थ निर्माण सामग्री भी शामिल है)	35369479		38234909	
खरीदारियां	2013333		6453170	
	37382812		44688079	
घटायें : अंतिम शेष–स्टोर्स व स्पेयर्स (इसमें हाथ में, कार्यस्थल पर एवं मार्गस्थ निर्माण सामग्री भी शामिल है)	32697364		35369479	
		4685448		9318600
आकस्मिक प्रभारः				
भंडारण शुल्क	34749		114717	
स्टाक असंगति	617		14908	
		35366		129625
कामगारों को वेतन तथा अन्य भुगतानः				
वेतन व भत्ते	239048350		155293424	
वर्दियां	16032		77451	
प्रोत्साहन	8657		11258	
यात्रा व्यय	986010		1057388	
उपदान	5728601		3252395	
		245787650		159691916
उपठेकेदारों को भुगतान		8571750171		8515800711
प्रेरक विद्युत व ईंधन		211572		413992
मशीन शुल्कः				
मशीनों व औजारों की कीमत एवं कर	33125		196165	
बीमा	26846		**52833**	
कार्यशाला भवन की मरम्मत	10390		28523	
		70361		277521
भवन की मरम्मत		104898		74741
ढुलाई एवं भाड़ा		92655		300407
औजार वं भंडार जो कि बट्टे खाते में डाले गए		6101		31604
मूल्यह्रास		2243768		2865517
वाणिज्यिक/व्यापार कर		111409231		129192843
निर्माण कार्यो पर आकस्मिक प्रभार		1147438479		445638790
	योग :	10083835700		9263736267

अनुसूची "ट"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	2010–2011	2009–2010
कार्मिक :		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		
(जिसमें छुट्टी का वेतन एवं पेंशन अंशदान भी शामिल है)	260984790	233446577
अंशदायी भविष्य निधि अशदान	21661466	20644765
उपदान	68843392	14679814
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना व्यय	28327770	6174606
स्टाफ के कल्याण पर व्यय	6257278	5856846
योग :	386074696	280802608

अनुसूची "ठ"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		2010–2011		2009–2010
प्रशासन :				
यात्रा व्यय (जिसमें निदेशकों के 123871/– रूपये				
भी शामिल है जो पिछले वर्ष 283211/– रूपये था)		15172211		13949691
किराया		5152814		5702339
मरम्मत एवं रख–रखाव:				
भवन	1513944		1562715	
अन्य	666797		750215	
		2180741		2312930
छपाई व लेखन सामग्री		2575259		3116531
डाक–व्यय, टेलीफोन तथा तार		3172769		3483877
बिजली एवं जल व्यय		1978420		1531712
विज्ञापन व व्यावसायिक प्रभार		5502941		8580555
विधिक व व्यावसायिक प्रभार		3050995		2824350
बैंक प्रभार		628336		598799
लेखा परीक्षकों को भुगतान:				
सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए				
लेखा परीक्षा शुल्क	247500		247500	
कर लेखा परीक्षा हेतु	74250		74250	
		321750		321750
यात्रा व्यय–लेखा परीक्षकों के		268250		324026
योग :		40004486		42746560

अनुसूची "ड"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	2010–2011	2009–2010
अन्य व्यय :		
विविध व्यय	8700353	7192987
वाहन चालन एवं रखरखाव तथा किराया आदि	14529123	14380756
बट्टे खाते में डाले गए अप्राप्य ऋण	27249141	125193
मूल्यह्रास	3142531	3458853
दरे एवं कर	27055	46495
बीमा	296797	316078
तकनीकी/परामर्शी शुल्क	1851955	2610792
अचल आस्तियों की बिक्री/बट्टे खाते में डालने से हुई हानि	233902	47139
भंडार की बिकी से हुई हानि	336686	125552
फाइलिंग शुल्क	0	22050942
योग :	56367543	50354787

अनुसूची "ढ"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	2010–2011	2009–2010
प्रावधान :		
संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम	4716570	22071627
कामगारों का उपदान	12002093	21098256
छुट्टियों का नकदीकरण	0	0
अंशदायी भविष्य निधि की हानियों हेतु प्रावधान	35312805	23401847
अन्य	1389363	38147
योग :	53420831	66609877

अनुसूची "ण"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण		2010–2011		2009–2010
ब्याज :				
क) केन्द्र सरकार से ऋण	0		21350129	
ख) अन्य	29100675		18504238	
		29100675		39854367
योग :		29100675		39854367

अनुसूची "त"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	2010–2011	2009–2011
पिछली अवधि का व्यय और आय :		
(क) व्यय:		
कर्मचारियों को वेतन मजदूरी एवं अन्य अनुलाभ	22029	469784
किए गए कार्य हेतु उप–ठेकेदारों को भुगतान	0	1861380
परियोजना प्राधिकरण	5778	1309851
अन्य	1374633	1297876
योग (क)	1402440	4938891
(ख) आय :		
कर्मचारियों को हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली	0	0
अन्य	7726278	2616238
योग (ख)	7726278	2616238
निवल राशि (क–ख)	–6323838	2322653

अनुसूची – 'थ'

लेखों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2011 की यथास्थिति तुलन–पत्र व उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि खाते के अनुलग्नक के अंगरूप में :–

1. इनके संबध में उपलब्ध न कराये गए प्रासंगिक दायित्व :

(लाख रुपयों में)

	इस वर्ष	विगत वर्ष
क) ठेकेदारों के दावे और निगम के प्रति दावे		
मध्यस्थ एवं न्यायालयों में लंबित	27797.64	13321.70
निगम के प्रति दावे	31437.85	20214.74
ख) बैंक गारंटियों की बकाया राशि (129.34 लाख रु. की सीमांत धनराशि सावधि जमा के रूप में)	128.43	128.43
ग) निष्पादन बैंक गारंटियां (17 35 लाख रु. की सीमांत धनराशि सावधि जमा के रूप में)	16.00	16.00

घ) विलम्बित परियोजनाओं के मामले में जहां निगम द्वारा समय वृद्धि के लिये आवेदन किया गया है, परिसमाप्त क्षतियों की देयतायें अभी प्रतीक्षित हैं ।

ड) चल रही परियोजनाओं के लिये प्रत्याशित हानियों और 77615.66 लाख रुपये के किये गए कार्य की कीमत के उचंत एवं परियोजना प्राधिकरणों के खातों के नामे डाली गई मिथ्या राशि हेतु प्रावधान नहीं किये गए हैं, इनका आकलन नहीं किया जा सकता जब तक कि ठेकेदारों/परियोजना प्राधिकरणों द्वारा अंतिम रूप से यह निपटा नहीं दिये जाते । हांलाकि, किये गए कार्य की कीमत के उचंत खाते में बकाया शेष मामले में पहले ही 8165.58 लाख रुपये का संदेहास्पद ऋण के तौर पर एक सही प्रावधान किया गया है जो प्रबंधन के अनुसार प्रत्याशित हानियों के लिये पर्याप्त है ।

च) निगम के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है उनके लिए शून्य रूपये (विगत वर्ष शून्य रूपये) की व्यवस्था की गई है ।

2. प्रकीर्ण ऋणदाताओं के अंतर्गत दिये नामे और जमा शेष, ऋण और अग्रिम तथा विविध ऋणदाताओं और सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋणों, उप–ठेकेदारों की राशि, उप–ठेकेदारों से मिली सुरक्षित एवं आरंभिक जमा राशि, अंतर यूनिट खातों के शेषों की पुष्टि/समायोजन अभी किया जना है ।

3. प्रकीर्ण देनदारियों में निष्पादित कार्य की वह रकम भी शामिल है जिसका बिल नहीं बना है तथा जो निगम के परियोजना प्रभारी इंजीनियर के प्रमाणन पर आधारित है, "किये गए कार्य की कीमत उचंत खाते और ठेकेदारों से अन्य देयता" शीर्ष में दर्शाया गया है ।

4. बारामूला यूनिट में एन.एल.पी. से 18 प्रतिशत ब्याज की दर पर लिये गये 71.49 रूपये बन्दोबस्ती अग्रिम और रामम में 13 प्रतिशत की ब्याज दर पर लिये 23.68 लाख रुपये के ऋण के लिये प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निगम को संबंधित परियोजना प्राधिकरणों से ली जाने वाली राशि का अभी निपटारा होना बाकी है । इसी भांति निगम द्वारा ली जाने वाली राशियों का निपटारा लंबित होना ध्यान में रखते हुए निगम ने अपने बकाया बिलों की राशि पर ब्याज की गणना एवं नामे डालने का कार्य नहीं किया है । प्रबंधन के अनुसार ब्याज की राशि दी जाने वाली राशि से अधिक हो सकती है ।

5. निगम को आवंटित ताज कॉरीडोर परियोजना के संबंध में कार्य बंद करने से पूर्व निगम ने 43.11 करोड़ रुपये का कार्य किया था जिसके लिये निगम ने दावा की गई राशि का निपटारा करने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हुई है ।

निगम को उ.प्र. सरकार द्वारा दिया गया 17.00 करोड़ रुपये अग्रिम के तौर पर पहले ही प्राप्त हो गया था । अतः 17.00 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद निवल बकाया राशि 26.11 करोड रुपये की है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर उ.प्र. सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित 20.00 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिये एक अंतरिम आदेश स्वीकृत किया था । उक्त स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने यह आवश्यक नहीं समझा कि किये गए कार्य के विरूद्ध बकाया निवल राशि के संबंध में संदेहास्पद ऋणों के लिये कोई प्रावधान किया जाए । निगम द्वारा दर्ज की गई रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी लंबित है ।

6. 'किये गए कार्य की कीमत–उचंत' खाते में 77615.66 लाख रुपये की राशि मिथ्या नामे डाली गई है जो निगम और संविदाकार दोनो द्वारा स्वीकृत मापतोल के आधार पर बनाये गए बिलो की कीमत सहित लेकिन अभी तक जिनका भुगतान नहीं किया गया है एवं किया गया कार्य निगम के स्वयं की मापतोल के आधार पर प्राप्त किया गया है जो परियोजना प्राधिकरण द्वारा अभी सत्यापन किया जाना है तथा जिसके बिलों को निगम ने 31.3.2011 तक प्रस्तुत नहीं किया है। 'किये गए कार्य की कीमत–उचंत खाते' में यह शेष परियोजना प्राधिकरण / संविदाकार से ऋण के तौर देय मानी गई है ।
7. वर्ष के दौरान अर्जित हुए नुकसान को देखते हुए आय कर या न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और पहले के वर्षों की संचित हानियां एवं अनअवशोषित मूलयह्रास को आगे लाया गया है ।
8. निगम समन्वित लेखा प्रणाली का अनुसरण करती है । अतः क्रय सम्बन्धी आंकड़े सामग्री को सीधे जारी करने में अंतिम स्टाक को जोड़कर (जारी करने की दर पर) और उनसे आरम्भिक स्टाक को घटाकर और स्टाक की विसंगतियों तथा स्टाक भंडारों को समायोजित कर निकाले गये हैं । विवरण के लिये कृपया तुलन पत्र का अनुबंधत्र देखिये ।
9. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 28–परिसम्पत्तियो की क्षति की आवश्यकतानुसार कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों की क्षति का आकलन नही किया गया है । हांलाकि प्रबंधन के आंतरिक आकलन के अनुसार वर्ष के दौरान इस प्रकार की क्षति नहीं हुई है ।
10. अंतर यूनिट खातों का मिलान अभी किया जा रहा है और मिलान कार्यवाही का पूरा होना लंबित रह जाने के चलते मिलान नहीं हो पाई / अनुत्तरित प्रविष्टियों के लिये कोई आशोधन / प्रावधान नहीं किये गए हैं । नामे एवं जमा प्रविष्टियों के बीच निवल अंतर चालू परिसम्पत्तियां / चालू देयतायों में, जैसा मामला हो, लेखाबद्ध किया गया है । अंतर यूनिट खातों के अर्थात प्रेषण, समायोजन खाता एवं मृत्यु राहत निधि में निम्नलिखित शेष हैं

- जमा प्रविष्टियों का योग 61651.48 लाख रुपये
- नामे प्रविष्टियों का योग 61599.24 लाख रुपये

  ———————

- निवल अंतर (जमा शेष) 52.24 लाख रुपये

11. क) इराक सरकार ने निगम को कार्य संविदा प्रदान की थी । यह कार्य इराक युद्ध के कारण बंद कर दिया गया था । संविदा की शर्तो के अनुसार और उसके परिणामस्वरूप न तो बैंक खाते में और न ही भुगतान योग्य राशि के समायोजन के पश्चात निवल मूल्य भारत में प्रत्यावर्तन हेतु अनुमति देने के लिए शेष रहा था । निगम की वार्षिक वित्तीय विवरणियां तैयार करने के उद्देश्य से निगम ने अपनी लेखा नीति सं. 9 के अनुसार 31.3 1995 तक हुए विदेशी विनिमय लेन–देन के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन किया हुआ है ।

    ख) प्रत्यावर्तन के बारे में वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन को न देखते हुए 31.3.1995 के पश्चात साल दर साल प्रत्यावर्तन दर को लागू नहीं किया गया है और 31.3.2011 की वार्षिक वित्तीय विवरणियों में भी 31.3.1995 के समान रुपये की प्रत्यावर्तन दर को लिया गया है ।

    ग) इराक में बकाया राशि के समाधान हेतु बिचौलिये स्वरूप एक्जिम बैंक ने दिनांक 29.4.2009 के पत्र में निर्देश किया था कि एनपीसीसी के बैंक खाते में बकाया शेष जमा पर अर्जित ब्याज के रूप में 716732.69 अमेरिकी डालर की जमा प्रविष्टि सैद्धांतिक तौर पर रहनी चाहिये । इसे इराक के केन्द्रीय बैंक द्वारा अपने खातों में दर्शाया गया है एवं प्रत्यावर्तन के लिए इसके मुक्त निपटान हेतु उपलब्ध कराने के लिये एक्जिम बैंक के खाते में वास्तविक जमा के तौर पर राशिबद्ध नहीं किया गया है ।

12. पुनर्संरचना योजना के अंगरूप में कारपोरेट मामलों के मत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं. 40/1/2010–सीएल–।।। दिनांक 02 12.10 के द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 101 के तहत भारत सरकार के ऋणों और उसपर ब्याज की राशि को इक्विटी पूंजी में बदलने के पश्चात, प्रदत्त इक्विटी पूंजी में 10 प्रतिशत इक्विटी शेयर कम करने का अनुमोदन प्रदान किया था । तदनुसार, 582,20,59,000/–रुपये की राशि के 1000/–रुपये प्रत्येक के 58,22,059 इक्विटी शेयरों को रद्द करके 28.12.2010 को संचित हानियों में समायोजित कर दिया गया है।

इस कटौती के पष्चात कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 94,53,16,000/–रुपये है जो 1000/–रुपये प्रत्येक के 9,45,316 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है ।

13. प्रबंधन की राय में, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के रूप में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान करने के उपरांत उनकी वसूली उस कीमत से कम नहीं होगी जो तुलन–पत्र (प्रावधान के पश्चात) में दर्शाई है ।

14. प्रति शेयर अर्जन/हानि

निगम की 'प्रति शेयर अर्जन' की गणना आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–20 के अनुसार की जाती है ।

क) मूलभूत/परिसमाप्त प्र.शे.आ. (राशि करोड़ रु. में)

विवरण		चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष हेतु लाभ/(–) हानि जो इक्विटी शेयरो के लिए मानी गई है	(क)	32.09	30.97
वर्ष के दौरान बकाया शेयरो का भारित औसत	(ख)	5267995	4071977
प्रति शेयर मूलभूत/परिसमाप्त अर्जन/हानि	(क/ख)	60.92	76.07
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये में)		1000 00	1000.00

15. आईसीएआई द्वारा जारी नियोजित रिपोर्ट लेखा मानक–17 लागू नहीं होता क्योंकि निगम आरम्भ से ही एक क्षेत्र अर्थात निर्माण कार्य करती है ।

16. सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण

लेखा मानक–18 के अनुसार सम्बद्ध पक्ष लेन–देन के विवरण इस प्रकार हैं·

1)	**सम्बद्ध पक्ष**			
	क)	सहायक कम्पनियाँ		शून्य
	ख)	वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान प्रबन्धक वर्ग के मुख्य कर्मी:		
		श्री अरबिन्द कुमार	27.04.10 तक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
		श्री ए.बी पण्डया	3 5 10 से 2.8.10 तक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
		श्री ए.के.झाम्ब	4 8 10 से 31.3.11	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
		श्री ए.के. झाम्ब	12.10.07 से संपूर्ण वर्ष	निदेशक (इंजी)
		श्री रवीन्द्र गर्ग	21.7.09 से संपूर्ण वर्ष	निदेशक (वित्त)
		श्री राममोहन मिश्रा	27.4.10 तक	निदेशक
		श्री सतपाल	20.5.10 से 30.6.10	निदेशक
		श्री सुधीर गर्ग	20.7.10 से	निदेशक
		डा. एम.के. सोनी	16.11.10 से	निदेशक
		श्री रिहान अहमद	16.11.10 से	निदेशक
2).	प्रबन्धक वर्ग के मुख्य कर्मियों के रिश्तेदार और उनके उद्यम जिनसे लेन–देन हुए हों:			'शून्य'
3).	अन्य सम्बद्ध पक्ष जिन पर नियन्त्रण हो			'शून्य'

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिको के लेन–देन के विवरण:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति 31.3.2011	वर्ष समाप्ति 31.03.2010
क.	वेतन और भत्ते	2251950	1752813
ख.	छुट्टियों का नकदीकरण	106586	–
ग.	छुट्टी यात्रा रियायत एवं यात्रा भत्ता	123871	516133
घ.	अंशदान पीएफ / सीपीएफ	191749	168672
ड.	समूह बीमा	250	200
च.	किराया जिसमें निदेशकों के निवास पर की गई अदायगियां और वसूलियां शामिल हैं	168818	427200
छ.	ग्रेच्युटी	154814	141019

17. कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के अनुसरण में यथासीमा लागू अतिरिक्त सूचना:

क) चूंकि निगम अपनी सविदाओं का निष्पादन पीएमसी या बैक–टू–बैक (टर्म रेट) आधार पर किसी एक प्रकार से करता है और उप ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यों एवं लागत पर सामग्री सहित बैक–टू–बैक आधार पर निश्चित अंतर प्राप्त करता है एवं निगम उप ठेकेदारों द्वारा निष्पादित की संविदाओं में स्वयं से किसी सामग्री की आपूर्ति नहीं करता अत: कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुबंध 6 के भाग 2 के अनुच्छेद 3 (क) एवं 4 घ (ग) के तहत जरूरी सूचना / विवरण शून्य हैं ।

ख) वर्ष के दौरान निदेशकों / अधिकारियों के वैयक्तिक खाते में पड़ी नामे की अधिकतम शेष राशि 0.99 लाख रुपये (विगत वर्ष 1.03 लाख रुपये) है ।

ग) लाभ और हानि खाते के विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत निदेशकों के पारिश्रमिक निम्नलिखित के अनुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति 31.3.2011	वर्ष समाप्ति 31.03.2010
क.	वेतन और भत्ते	2251950	1752813
ख.	छुट्टियों का नकदीकरण	106586	..
ग.	छुट्टी यात्रा रियायत एवं यात्रा भत्ता	123871	516333
घ.	अंशदान पीएफ / सीपीएफ	191749	168672
ड.	समूह बीमा	250	200
च.	किराया जिसमें निदेशकों के निवास पर की गई अदायगियां और वसूलियां शामिल है	168818	427200
छ.	ग्रेच्युटी	154814	141019

घ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी दिन गैर अनुसूचित बैंकों / डाकघरों में अधिकतम बकाया निम्न प्रकार रहा:

क्र.सं.	विदेशी बैंक का नाम	31.03.2011 को स्थिति
1.	रफीदियन बैंक, इराक	आईडी 157558.463
2.	रशीद बैंक, इराक,	आईडी 223844.702
3.	नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल,	+ 648.96
4.	नेपाल बैंक लिमिटेड,महेन्द्र नगर, नेपाल	एनआर 9614.64

उक्त खाते 1985 से संचालन मे नहीं हैं और संदेहास्पद माने गये हेतु प्रावधान भी किये गए हैं ।

		2010–2011	2009–2010
च)	सी.आई.एफ. मूल्य सहित आयातों का मूल्य	शून्य	शून्य
छ)	विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
ज)	विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य

18. कर्मचारी अनुलाभ (लेखा मानक–15)

एक्चुरियल मूल्यांकन में प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार हैं:

विवरण	01.04.2010	31.3.2011
–छूट दर	7.50 प्रतिशत	8.25 प्रतिशत
–भविष्य में वेतन वृद्वियों की अपेक्षित दर	5.00 प्रतिशत	5.00 प्रतिशत

	उपदान नियमित कर्मचारी	उपदान कार्य प्रभारित	छुट्टियों का नकदीकरण
	अनिधिक	अनिधिक	अनिधिक
दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
– 1.4.2010 को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1443.24	1419.75	1274.06
– ब्याज लागत	119.07	117.13	105.11
– वर्तमान सेवा लागत	75.54	46.58	41.55
– अनुलाभ भुगतान	(144.90)	(57.28)	(126.16)
– दायित्वों पर एक्चुरियल (बढ़त) / हानि	35.63	(109.15)	(17.60)
– 31.3.2011 को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**1968.99**	**1417.03**	**1276.96**
उचित मूल्य की योजना में परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही
तुलन पत्र में मान्य देयता			
– 31.03.2011 को दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1968.99	1417.03	1276.96
– वर्ष की समाप्ति पर दायित्वों का उचित मूल्य	196.35	..	..
– वित्त पोषण की स्थिति (अधिशेश / घाटा)	(1772.64)	(1417.03)	(1276.96)
– अमान्य एक्चुरियल (वृद्धि / हानि)	..	..	..
तुलन पत्र में मान्य निवल परिसम्पत्तियां (देयता)	**(1772.64)**	**(1417.03)**	**(1276.96)**
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय	..	..	..
– चालू सेवा लागत	75.54	46.58	41.55
– पूर्व सेवा लागत	440.41	..	..
– ब्याज लागत	119.07	117.13	105.11
– योजनागत परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	(15.98)	..	..
– वर्ष के दौरान मान्य निवल एक्चुरियल (वृद्धि / हानि)	37.78	(109.15)	(17.60)
– लाभ एवं हानि खाते में मान्य कुल व्यय	**656.82**	**54.56**	**129.06**

19. जहां कही आवश्यक समझा गया विगत वर्ष के आंकड़ो को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

20. एसएसआई यूनिट के तौर पर उनकी स्थिति के बारे में आपूतिकर्त्ता से प्राप्त अपर्याप्त जानकारी को देखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत ऐसा उपकम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तदनुसार, प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

अनुसूची "द"

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	2010–2011
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	1475944787.00
आस्थगित कर देयतायें	
कुल आस्थगित कर देयतायें	69055606.00
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	1406889181.00
कुल कर देयता	467333414.00
घटायें: 2009–10 तक दर्ज आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	60829325.00
2010–11 में दर्ज आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**406504089.00**

अनुसूची 'क' से 'द' हस्ताक्षरित

(रजनी अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(रवीन्द्र गर्ग)
निदेशक (वित्त)

(ए.के. झाम्ब)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एल.सी. कैलाश एण्ड एसोशियेटस
सनदी लेखाकार

एल.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 005122
फर्म सं. 01811एन

नई दिल्ली
दिनांक : 05.12.2011

नकद प्रवाह विवरणिका

(लाख रुपयों में)

		वर्ष 2010–11	वर्ष 2009–10
परिचालन सम्बन्धी गतिविधियों से नकद प्रवाह			
ग्राहकों से नकद प्राप्ति		84,558.43	110,456.64
उपठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओ और कर्मचारियों को नकद भुगतान		(71,872.85)	(78,142.72)
परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त बंदोबस्ती अग्रिम असुरक्षित ऋण शीर्ष में दर्शाया गया है।		1,221.41	(2,249.94)
उप ठेकेदारों को दिये बंदोबस्ती अग्रिम पर ब्याज		464.45	158.95
परिचालन से निष्पादित नकद		14,371.43	30,222.93
निवेश सम्बन्धी गतिविधियों से नकद प्रवाह			
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	74.87		68 72
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(50.74)		(37.18)
बैंक जमा पर ब्याज	1,061.93		564.49
		1,086.06	596.03
वित्त सम्बन्धी गतिविधियों से नकद प्रवाह			
हानियों में कमी	58,220.59		(23,523.77)
शेयर पूंजी मे कमी	(58,220 59)		64,689.55
ब्याज का भुगतान	(176.94)		(42,812 91)
		(176.94)	(1,647.13)
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/अवनति		15,280.56	29,171.83
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य		45,069.44	15,897.61
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		60,350.00	45,069.44

टिप्पणी :
1. रोकड़ और समतुल्य में हाथ में 59.23 लाख रूपये नकदी और बैंको में 60290.77 लाख रूपये बकाया शामिल है ।
2. कोष्ठक में दिए गए अंक रोकड़ के नकद प्रवाह के बारे में हैं ।
3. वित्तीय गतिविधियों के शीर्ष के तहत रु (42812.91) दिया गया ब्याज वर्ष 2009–10 में भारत सरकार के ऋण पर ब्याज को इक्विटी शेयर मे बदलने से संबधित है ।
4. जहां आवश्यक समझा गया पिछले वर्ष के अंको को पुनः समूहित कर लिया गया है।

(रजनी अग्रवाल)	(रवीन्द्र गर्ग)	(ए.के. झाम्ब)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एल.सी. कैलाश एण्ड एसोशियेटस
सनदी लेखाकार

एल.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 005122
फर्म सं. 01811एन

नई दिल्ली
दिनाक : 05.12.2011

तुलन पत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा

1. **पंजीकरण के ब्यौरे**

पंजीयन संख्या	सी 2752	राज्य कोड	55	
		31	03	2011
		दिन	महीना	साल

2. **वर्ष के दौरान पूंजी (राशि हजार रुपये में)**

पब्लिक इश्यू	शून्य	राईट्स इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	शून्य

3. **मोबिलाइजेशन की स्थिति एवं निधियों का प्रसार (राशि हजार रुपये में)**

कुल देयताए	17195477	कुल परिसम्पत्तियां	17195477
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त शेयर पूंजी	945316	आरक्षित एवं अधिशेष	शून्य
प्रतिभूत ऋण	52419	अप्रतिभूत ऋण	939942
निधियों का नियोजन			
निवल अचल परिसम्पत्तियां	73785	निवेश	15
निवल चालू परिसम्पत्तियां	(–) 8841	विविध व्यय	शून्य
संचित हानियां	1405385	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	467333

4. **कम्पनी का निष्पादन (राशि हजार रुपयों में)**

कारोबार	10613018	कुल खर्च	10292081
कर पूर्व हानि	320937	कर पश्चात हानि	320937
आस्थगित कर राजस्व	406504	आस्थगित कर राजस्व	727441
पश्चात निवल हानि			
प्रति शेयर आय रुपये में	(–) 60.92	लाभांश दर प्रतिशत	शून्य

5. **कम्पनी के तीन मूलभूत प्रमुख उत्पादों के नाम (मौद्रिक नियमों के अनुसार)**
कम्पनी विनिर्माण कार्यकलापों में नहीं है, अतः लागू नहीं होता ।

(रजनी अग्रवाल)	(रवीन्द्र गर्ग)	(ए.के. झाम्ब)
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एल.सी. कैलाश एण्ड एसोशियेटस
सनदी लेखाकार

एल.सी. गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 005122
फर्म सं 01811एन

नई दिल्ली
दिनांक : 05.12.2011

लेखा नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरणिका तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरणिकाएं ऐतिहासिक लागत की परिपाटी पर तैयार की जाती हैं और ये सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो तथा भारत में लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं ।

2. **आय और व्यय को लेखाबद्ध करना**

आय और व्यय का लेखा सामान्य रूप से चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में लिया जाता है । लेखा प्राक्कलनों अथवा समय से सम्बन्धित आकस्मिकताओं से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुए समायोजनों को चालू वर्ष की वित्तीय व्यवस्था से लेखाबद्ध किया गया है ।

3. **व्यय का वर्गीकरण**

सभी व्ययों को उनके स्वाभाविक अध्ययनों के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है और जहां आवश्यक है वहां क्रियात्मकता के आधार पर व्यय का विवरण एक टिप्पणी द्वारा दिया जाता है ।

4. **लाभ की गणना विधि**

लेखा वर्षों में फैले निर्माणों / निर्माण ठेकों से प्राप्त लाभों को वर्ष के दौरान किए गए कार्य और उपगत / उपार्जित व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है ।

5. **उधारी की लागत**

1) कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के रूप में उधारी को राजस्व की उस अवधि से प्रभारित किया जाता है जिसमे इसका व्यय हुआ है ।

2) उधारी लागत जो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण, स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण से सम्बंधित है, उन परिसम्पत्तियों के अंश के रूप में पूंजीगत किया जाता है ।

6. **कारोबार**

किए गये कार्य के मूल्य को मुख्य कार्यकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1 संविदाकार द्वारा परिमापित तथा निष्पादित कार्य ।
2. किया गया कार्य जो उगाही योग्य तथा प्रतिलभ्य है और जिसे 31 मार्च तक संविदाकारों द्वारा परिमापित किया जाना है ।
3. पिछले वर्षों में किया गया कार्य जिसकी उगाही न हो सकने के कारण संदेहास्पद माना गया और उन वर्षों के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया और जिसके बारे में मामला अब तय हो गया है।
4. सविदाकार के साथ परस्पर सहमति के सूत्र पर आधारित मूल्य अभिवृद्धि की मात्रा ।
5. उन निर्माण कार्यों के लिये किया गया कार्य जिनके बारे में करार हस्ताक्षरित / निश्पादित नहीं हुआ है और जिनके लिये प्रस्तुत निविदाओं / प्रारूप समझौतों / संकल्प पत्रों के अनुसार दरों के आधार पर समायोजन किया गया है ।
6. अतिरिक्त / प्रतिस्थानिक मदों के लिये दावे तथा अन्य दावे जिन्हें निगम द्वारा वसूली योग्य माना गया है, परन्तु दरों को तय करने के लिये वास्तविक राशि माना गया है ।

परन्तु किये गये कार्यों की लागत में ये सम्मिलित नहीं हैं :–

विगत वर्षों में किये गये कार्य जिन्हें इस वर्ष में लिखा गया है परन्तु चालू वर्ष के दौरान जिनकी वसूली संदेहास्पद समझी गई है ।

7. **मूल्यह्रास**

यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास स्टेट लाइन मैथड के आधार पर प्रभारित किया जाता है ।

पुस्तकालय की जिन पुस्तकों की इकाई लागत 500 रूपये से कम हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है । अन्य पुस्तकों का मूल्यह्रास 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से किया जाता है ।

संविदा स्थल पर जो अस्थायी निर्माण करने पड़ते हैं या जो परिसम्पत्तियाँ विशेष रूप से अपेक्षित होती है ताकि निगम अपना कार्य निष्पादित कर सके, उन पर परियोजना प्राधिकारियों को सूचित किये गये कार्यक्रम के निष्पादन की नवीनतम अनुमानित अवधि के अनुसार सीधे रूप से मूल्यह्रास किया जाता है । इस पर मलबे की राशि घटा दी जानी होती है ।

8. उपदान और अवकाश वेतन

1. स्थायी कर्मचारियों के संदर्भ में उपदान निधि के अंशदान की देयता वर्ष के अंत में एक्चुरियल गणना पर आधारित है ।
2. अवकाश वेतन की देयता एक्चुरियल आधार पर लेखाबद्ध होती है ।

9. विदेशी विनिमय के लेनदेन

1. संबद्ध लेखा वर्ष के 12 महीनों के लिए आय तथा व्यय को वस्तुओं के औसत मूल्य पर परिवर्तित किया जाता है ।
2. परिसम्पत्तियों और दायित्वों का परिवर्तन समापन मूल्य पर संबद्ध वर्ष के 31 मार्च को होता है ।

10. सम्पत्ति–सूचियां

निर्माण सामग्री सहित अन्य सामग्री गोदामों और फालतू वस्तुओं के स्टाक का मूल्य लागत (पहले आई पहले गई के आधार पर) के अनुसार होता है । शर्त यह है कि भंडार के माध्यम से जारी सामग्री के मामले में 3 प्रतिशत स्टाक भंडारण शुल्क और वस्तुसूची में असंगतता के कारण 1 प्रतिशत तक समायोजन इसमें जोड़ लिया जाता है ।

11. उप ठेकेदारों की अदायगी के व्यय

उप ठेकेदारों द्वारा बिल रसीदों का लंबन या मूल्यों के निर्धारण के प्रावधान, निष्पादित कार्य के परिणाम और समानुपात में यदि वह निष्पादित कार्य के मूल्य में सम्मिलित है, निर्धारित किये जाते हैं ।

12. आस्थगित राजस्व व्यय

लाभ की वस्तुओं में से जो अनुबन्ध के दौरान पूरे समय उपलब्ध हैं उन पर व्यय, यदि वह वास्तविक हैं तो उसे आस्थगित राजस्व व्यय में कार्य पूरा होने पर अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जाएगा । वह व्यय परियोजना की अवधि के लेखा के आधार पर प्रभारित किया गया है । जैसा कि परियोजना प्राधिकारियो को कार्य पूरा होने के प्रत्याशित कार्यक्रम के विषय में सूचित किया गया है ।

13. पूर्व अवधि के व्यय/आय

लाभ एवं हानि के खाते में पूर्व अवधि के व्यय/आय में प्रत्येक मामले में ऐसी व्यय/आय की अलग–अलग मदों से सम्बन्धित विवरणी सम्मिलित नहीं की गई है, जो 5,000/– रूपये से अधिक नहीं है ।

14. पूर्वभुगतान व्यय

बाद के वर्ष (वर्षों) से सम्बद्ध प्रत्येक मामले में अग्रिम के रूप में खर्च किये गए 5,000/– रूपये तक के व्यय का रोकड़ा के आधार पर लेखा–जोखा बनाया गया है ।

15. रद्दी वस्तुओं का लेखा

रद्दी वस्तु व खाली–डिब्बों आदि बचे हुए माल, बेकार सामग्री पर राजस्व का हिसाब यथार्थता के आधार पर किया जाता है ।

16. ब्याज

कर्मचारियों की पेशगियों पर प्राप्त ब्याज के आधार पर लेखाबद्ध को छोड़कर देय और प्राप्त होने वाले को सम्पूर्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

17. संविदात्मक दायित्व

गारंटी अवधि के दौरान मरम्मत तथा रख–रखाव पर किया गया व्यय उस वित्तीय वर्ष में प्रभारित होता है जब यह किया जाता है ।

18. **निर्यात प्रोत्साहन**

सी.सी.एस. एवं एक्जिम स्क्रिप लाभों की गणना वसूली पर की जाती है ।

19. **अन्य पक्षों पर किये गये दावे**

निगम द्वारा अन्य पक्षों पर किये गए दावों की गणना वसूली होने पर की जाती है ।

20. **आय पर कर**

किसी अवधि के लिए कर योग्य आय के सम्बन्ध में देय कर की राशि को चालू कर के रूप में निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर का निर्धारण समय के अन्तर पर विवेक से निर्णय लेकर, एक अवधि के लिए हुई आय पर कर योग्य आय की गणना करके किया जाता है तथा यह बाद की एक या अधिक अवधियों में उलटाव के लिए सक्षम होती है। आस्थगित कर सम्पत्तियों को असमाहित ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों पर तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक यह सुनिश्चित न हो कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके बदले इस तरह की आस्थगित कर सम्पत्तियों का समाधान किया जा सकेगा।

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तारीख के लाभ व हानि खातों एवं नकद प्रवाह विवरणिका, का अंकेक्षण किया है, जिनमें यूनिटों, शाखाओं और अन्य कार्यालयों के लेखे शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति पत्र के अनुसार की गई है। इन वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग की होती है। इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है, जो कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा पर आधारित है ।

तीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी की 94 यूनिटों, शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों की जो लेखा परीक्षा की गई है, उसका प्रतिवेदन हमें भेजा गया था और अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में हमने इसे शामिल कर लिया है।

1. सामान्य तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षा करने का कार्य हम इन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं ताकि इस बात से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरणों में दी गई सामग्री का प्रस्तुतीकरण गलत ढंग से नहीं किया गया हैं। लेखा परीक्षा के दौरान इन विवरणों में दी गई राशियों के पक्ष में सबूतों की नमूना जांच करना भी शामिल है, ताकि यह पता चल सके कि वित्तीय विवरण में इनका प्रकटीकरण इनके अनुरूप ही किया गया है या नहीं। लेखा परीक्षा में यह शामिल होता है कि लेखा सिद्धान्तों का निर्वहन किस सीमा तक हुआ है और प्रबन्धक वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण प्राक्कलनों को किस तरह तैयार किया गया है। इसके साथ–साथ यह मूल्यांकन भी किया जाता है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरण की प्रस्तुति किस तरह से की गई है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय कायम करने के लिए हमें सम्यक आधार उपलब्ध कराती है ।

2. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003, कम्पनी (लेखा परीक्षको का प्रतिवेदन) (संषोधन) आदेश 2004 की आवश्यकताओं के अनुरूप उक्त आदेश के पैरा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों में हमने एक विवरण संलग्न किया है ।

3. उपर्युक्त अनुलग्नक में की गई अपनी टिप्पणियों के बारे में हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि:

   क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान और विष्वास के आधार पर हमारे द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे ।

   ख) हमारे विचार में निगम द्वारा लेखो के उचित खाते विधिसम्मत ढंग से रखे गए हैं, जैसा कि हमें कम्पनी के खातों की संवीक्षा करने से प्रतीत हुआ है ।

   ग) हमारे द्वारा प्रतिवेदित कम्पनी का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणिका लेखों की पुस्तकों के अनुरूप हैं ।

   घ) हमारे विचार में निम्नलिखित पैरा (ड.) में दी गई हमारी टिप्पणियों के बावजूद इस प्रतिवेदन में शामिल तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणिका कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 211(3ग) में संदर्भित लेखा मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन उपयुक्त सीमा तक करते हैं ।

   ड) हमारे विचार में और हमारी अधिकतम् जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, बशर्ते कि:–

1. क) कम्पनी के प्रभारी इंजीनियर द्वारा किए गए कार्य की माप को कारोबार के तौर पर लेखांकित किया जाना भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक सं. 7 तथा 9 के अनुरूप नहीं है । अतः इस प्रकार के कार्यों के लिए दर्ज की गई आमदनी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–7 के अनुरूप नहीं है। कारोबार के रूप में दर्शाया गया ऐसा बिना माप का कार्य प्रबन्धनों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता। लेखा नीति संख्या 4 और 6 को उपर्युक्त लेखा मानक के अनुरूप लागू करने की आवश्यकता है ।

   ख) हमारी राय में, स्वयं तथा संयुक्त रूप से पैमाइश किए हुए उन कार्यों के लिए प्रावधान किया जाना मानक लेखा सिद्धांतों के खिलाफ है जिन्हें ७५–ठेकेदारों के ठेके के खर्चों के नामे वाले बिल का संबल प्राप्त नहीं होता ।

   ग) व्यापक समीक्षा और किए गए कार्य मूल्य के उचंत खातें में पड़े 77561 लाख रुपये के नामे शेष तथा ठेका खर्चों हेतु देयता के

तौर पर पड़े 86027 लाख रुपए के जमा शेष के बारे में विशिष्ट विवरणों की अनुपस्थिति में हमें लगता है कि कार्य अनुबंध खर्चों के लिए किया गया प्रावधान ज्यादा है जिसके समुचित मिलान तथा आवश्यक लेखाकंन समायोजन की आवश्यकता है ।

2. ऐसे कार्य स्थलों, जो बंद हो चुके हैं तथा जहां निर्माण गतिविधियां नहीं चल रहीं हैं वहां कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य अनुबंध के खर्चों से घाटा हो रहा है जोकि लेखाकंन के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है ।

3. प्रकीर्ण देनदारों के मामले में बकाया राशि का संदेहास्पद के तौर पर निर्धारण करने और उसके लिए प्रावधान करने के लिए निगम की कोई दस्तावेज़ी नीति नहीं है । बकाया देनदारों का कालानुसार तथा बिल अनुसार विश्लेषण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः हम यह बताने में असमर्थ हैं कि संदेहास्पद ऋणों के लिये किया गया प्रावधान ऋण भरपाई के लिए पर्याप्त है या नहीं क्योंकि इनकी वसूली संदेहास्पद लगती है । 77615 लाख रुपए के कुल बकाया देनदारीं मे से 8346 लाख रुपए को संदेहास्पद माना गया है जिसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। हमें सूचित किया गया है कि इस पद्धति के अनुसार केवल ऐसे ऋणों को ही संदेहास्पद माना जाता है जो पांच वर्षो से भी अधिक समय से बकाया हों किन्तु ऐसे ऋण, जो पांच साल से अधिक पुराने नहीं हैं, की भी सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा नहीं की जाती कि उनमें से भी कोई ऋण यदि संहेदास्पद है तो उसके लिए संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता हो ।

4. कई वर्षों पहले विभिन्न बैंकों से ली गई 19.86 लाख रुपए की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) का न तो कोई अता–पता है और ना ही उनका कोई विवरण जैसे बैंक और षाखा का नाम, जारी करने तथा परिपक्वता की तारीख, ब्याज दर, आदि उपलब्ध है । यह सकल हानि है तथा उनको खराब तथा संदिग्ध जमा के रूप में मानकर प्रावधान करने के बजाए इन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए ।

5. निम्नलिखित बैंक खातों का 31.3.2011 को क्लोजिंग बैंक बैलेंस प्रमाणपत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

i) रफीदियन बैंक, इराक

ii) रशीद बैंक, इराक

iii) नेपाल बैंक लिमिटेड

6. ऋणों तथा अग्रिमों और दूसरे ग्राहकों एवं ठेकादाताओं के पास सुरक्षा जमा राशियों के बारें में 2898.02 लाख रुपए का तदर्थ प्रावधान गत वर्ष उन राशियों के लिए किया गया है जिनकी वसूली संदेहास्पद मानी गई थी । जबकि ऐसा करने से पूर्व निम्नलिखित खातों में बकाया प्रत्येक राशि की कोई समीक्षा/जांच नहीं की गई :–

क्र.सं.	विवरण	जमा की गई राशि (लाखों में)	प्रावधान की राशि (लाखों में)
1.	ठेकादाताओं के पास सुरक्षा जमा (कार्य बिल में से काटी गई)	6329.62	957.23
2.	दूसरों के पास सुरक्षा जमा	91.40	23.78
3.	उप–ठेकदारों को अग्रिम	12619.76	1917.01

7. क) एनटीपीसी–सीपत हेतु आदेश संख्या पी.आर.पी./12/2010 दिनांक 18.3.2010 के तहत 10.9.2004 से 31.3.2008 के बीच निष्पादित अनुबन्ध के सम्बन्ध में सेवा कर आयुक्त द्वारा आंकलन की गई सेवा कर की 404 लाख रुपये की देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ख) उपर्युक्त अवधि हेतु उपर्युक्त राशि पर सेवा कर आयुक्त द्वारा मांगी गई जुर्माने तथा ब्याज की देनदारी के साथ–साथ एनटीपीसी–सीपत के लिए 1.4 2008 से 31.3.2011 की अवधि के दौरान निष्पादित ठेके पर लगने वाले सेवाकर पर जुर्माने तथा ब्याज की देनदारी के 145 लाख रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ग) हालाँकि निगम द्वारा ऐसे अनेक निर्माण कार्य किए गए हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं किन्तु प्रबन्धन द्वारा पहले निष्पादित किए गए तथा खातों में लेखांकित ठेकों के बारे में संभावित देनदारी की रकम का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

8. ऐसे मामलों में जहाँ ठेकादाताओं की ओर से निगम द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य की माप तथा प्रमाणन होना बाकी है, उस किए गए कार्य के मूल्य को स्वयं प्रमाणित आधार पर अनुबन्ध राजस्व के रूप में दर्ज किया गया है । आज तक ठेकादाताओं द्वारा बिलों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण हमारी राय में ऐसे कार्य के मूल्य को कारोबार मानकर नहीं चलना चाहिए। निगम द्वारा 31.3.2011 तक के ऐसे सभी मामलों की कुल कीमत की पहचान/व्यवस्था नहीं की गई है ।

9. परिनिर्धारित नुकसानों के कारण ठेकादाताओं द्वारा अभी तक जहां समय बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है वहां विलम्बित परियोजनाओं के बारे में आकस्मिक देनदारियों की राशि सुनिश्चित नहीं की गई है ।

10. ऐसे मामलों में जहां निगम को प्रदत्त अनुबन्ध द्वारा निरस्त कर दिए गए तथा इसके परिणामस्वरूप अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निगम द्वारा उप–ठेकेदारा का ठेका समाप्त किया गया, इनके फलस्वरूप निगम, उपठेकेदारों तथा ठेकादाताओं के बीच विवाद पैदा हो गया । निगम ने उप–ठेकेदार द्वारा किए गए दावे के आधार पर ठेकादाताओं के समक्ष कई बिल पेश किए हैं, ऐसे बिलों को कम्पनी की लेखा नीति के अनुसार न तो खातों में लेखाकित किया गया है और ना ही लेखाकित नहीं की गई वास्तविक रकम तथा वास्तविक विवरण जांच–पडताल के लिए हमें उपलब्ध कराया गया है ।

11. आंतरिक नियन्त्रण तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप ठेकादाताओं तथा उपठेकेदारों के खातों में बड़ी मात्रा में जमा/नामे शेष बकाया दिख रहा है और धन प्रेषण खातों, समायोजन खातों और मृत्यु राहत खातों को लम्बे समय तक समायोजित नहीं किया जा रहा है जिन्हें नियमित रूप से समायोजित/समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ।

12. प्रकीर्ण देनदारों के अन्तर्गत दर्शाये गए नामे तथा जमा शेष, लिए और दिए गए ऋणों व अग्रिमों, प्रकीर्ण लेनदारों, प्रतिभूतित तथा अप्रतिभूतित ऋणों, प्रतिभूति जमा राशियों, उप–ठेकदारों की प्रारंभिक बयाना जमाराशि ठेकादाताओं के पास जमा प्रतिभूतियों का मिलान, पुष्टिकरण तथा समायोजन होने के अधीन है ।

13. अदालत में दायर मुकदमों के मामलों में उसके आदेश/निर्देश पर जमा कराई गई रकम खातों के वार्षिक विवरण में अलग से नहीं दर्शाई गई है ।

14. स्थायी सम्पत्तियों तथा मशीनों की प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई क्योंकि ऐसी जांच के लिए अपनाया गया तरीका और प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है ।

15. ठेकादाताओं की निगरानी वाले कुछ कार्यस्थलों/स्थानों पर तीसरे पक्ष के अधीन पड़ी वस्तुसूची की कोई जांच रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। कुछ कार्यस्थलों पर सीएआरओ की आवश्यकता के अनुसार स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर नहीं रखा गया है ।

उपर्युक्त विशिष्टताओं का वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा 31.3.2011 को निगम के मामलों की दशा पर समग्र रूप से पड़ने वाला प्रभाव ऊपर्युक्त कारणों से अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है ।

अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य टिप्पणियों के साथ पठित उपर्युक्त खाते कम्पनी अधिनियम 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार मांगी गई सूचना तद्नुसार वांछित तरीके से परिलक्षित करते हैं और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।

1 31 मार्च 2011 को कम्पनी के मामलों की स्थिति, और उसी तारीख के तुलनपत्र के विषय में और

2 जहाँ तक लाभ–हानि खाते का सम्बन्ध है, तो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ दर्शाता है ।

3 जहाँ तक नकद प्रवाह विवरणिका का सम्बन्ध है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह दर्शाता है ।

कृते एल.सी. कैलाश एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(एल.सी. गुप्ता)
वरि0 कार्यपालक भागीदार
सदस्यता सं. 05122
फर्म सं. 01811एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.12.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा-3 में संदर्भित अनुलग्नक-1

1. क) निगम द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा गया है जिसमें उनके मात्रात्मक विवरण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा दर्शाया गया है किन्तु उक्त विवरण में सीएआरओ द्वारा निर्धारित ब्यौरा जैसे अवस्था, पहचान के चिह्न, खरीद करने का वर्ष आदि शामिल नहीं है ।

   ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धक वर्ग ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों की चरणबद्ध ढंग से प्रत्यक्ष जांच की थी। इसमें ग्राहकों के स्वामित्व और मार्गस्थ अन्तर यूनिट स्थानान्तरण शामिल नहीं है । तथापि हमारी राय में प्रत्यक्ष जांच के लिए अपनाया गया तरीका और प्रक्रिया संतोषजनक नहीं था, हालांकि प्रत्यक्ष जांच की एक प्रणाली मौजूद है, फिर भी हमारे द्वारा अंकेक्षित अधिकांश यूनिटों में उनकी रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई ।

   ग) हमारी राय में वर्ष के दौरान निपटाई गई स्थायी परिसम्पत्तियों का इस मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कंपनी अभी चलेगी।

2. क) जैसा कि हमें बताया गया मार्गस्थ सामग्री तथा कुछ निर्माण स्थलों पर तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली अथवा ग्राहकों के स्वामित्व वाली वस्तुओं को छोड़कर वर्ष के अन्त में वस्तुसूची की प्रत्यक्ष जांच प्रबन्धन द्वारा की गई थी ।

   ख) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर निगम के आकार और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक वर्ग द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची की प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रिया संतोषजनक और पर्याप्त नहीं है ।

   ग) सामान्य रूप से निगम द्वारा वस्तुसूची का उचित लेखा–जोखा रखा गया है। जैसा कि हमें बताया गया, प्रत्यक्ष जांच करने और लेखों से उसकी तुलना करने पर पाई गई विसंगतियों का विश्लेषण किए बिना ही संविदा लेखों में उन्हें प्रभारित/जमा करा लिया गया।

3. क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने किसी प्रकार के प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित ऋण ऐसी कम्पनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को स्वीकृत नहीं किए हैं जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बिन्दु 3 (ख) से 3 (घ) तक हमें कोई राय व्यक्त नहीं करनी है ।

   ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने किसी प्रकार के प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित ऋण ऐसी कम्पनियों, फर्मों या अन्य पक्षों से नहीं लिये हैं जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बिन्दु संख्या 3 (ङ) से लेकर 3 (छ) के विरूद्ध हमें कोई राय व्यक्त नहीं करनी है।

4. हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों में से एक स्पष्टीकरण के अनुसार खरीदी गई कुछ मदें खास किस्म की हैं तथा तुलनात्मक कोटेशन प्राप्त करने के लिए उनके वैकल्पिक स्रोतों का अस्तित्व ही नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि निगम में उसके आकार तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए आंतरिक नियन्त्रण की एक समुचित प्रणाली है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में ऐसी किसी बड़ी कमजोरी का पता हमें नही चला जिसे दूर करने में कम्पनी असफल रही हो ।

5. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी पक्ष के साथ 5,00,000 रूपये से अधिक मूल्य के ऐसे लेन–देन नहीं हुए हैं जिसकी प्रविष्टि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले रजिस्टर में करने की आवश्यकता हो ।

6. हमें दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58–ए और 58–एए अथवा अन्य सम्बन्धित प्रावधानों एवं उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निगम ने आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. जैसा कि हमें बताया गया कि निगम में आंतरिक लेखा परीक्षा की पद्धति है । तथापि, हमारी राय में निगम के व्यापार और कार्य के स्वरूप को देखते हुए इस पद्धति को विशेष तौर पर अप्रयुक्त स्थायी आस्तियों के सत्यापन, पहचान करने तथा सही तरीके से खाता बद्ध करने तथा प्रकीर्ण देनदारी में परियोजना प्राधिकरणों, उप–ठेकेदारों तथा अन्य पक्षों की वर्षों से बकाया पड़ी राशियों, अग्रिमों और अन्य राशियों, बंदोबस्ती अग्रिम एवं उस पर ब्याज, बैंकों में स्थायी जमा राशियों, उचंत और यूनिटों के आतरिक खातों तथा प्रकीर्ण लेनदारी एवं अन्य दायित्वों का मिलान करने के कार्य को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सभी प्रकार की गतिविधियों और अधिक संख्या में यूनिटों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए इस पद्धति का कार्य क्षेत्र बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

8. हमें बताया गया है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के प्रावधानों के अन्तर्गत लागत का रिकार्ड रखने हेतु केन्द्रीय सरकार ने विहित नहीं किया है ।

9. क) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और खातों की पड़ताल के आधार पर निगम द्वारा भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क उपकर सहित सभी अविवादित सांविधिक देय राशियों तथा इस पर लागू अन्य सांविधिक देय राशियों का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को निरन्तर नहीं किया जा रहा है । तथापि भविष्य निधि न्यास के पास पिछले वर्षो की भविष्य निधि देरी से जमा कराने के कारण उस पर लगे ब्याज की राषि 31 मार्च 2011 को 3394.51 लाख (गत वर्ष 3234.39) लाख रुपए बकाया हैं।

हमें बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान निगम में लागू नहीं है ।

हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सम्पत्तिकर, सेवाकर, बिक्रीकर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क और उपकर से सम्बन्धित अविवादित सांविधिक देय राशियां जो 31 मार्च 2011 को बकाया थीं, उनका विवरण हमारी रिपोर्ट के अनुबन्ध–2 में दिया गया है ।

ख) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमा षुल्क, सम्पत्तिकर, सेवाकर, आबकारी शुल्क और उपकर की विवादित ऐसी देय राषियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के अनुबन्ध–3 में दिया गया है, जिनका किसी विवाद के कारण समय पर भुगतान नहीं किया गया है ।

10. 31 मार्च 2011 को निगम की संचित हानियां इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक हैं। प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष तथा इससे पहले वर्ष में निगम को नकद हानि नहीं हुई है।

11. हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी पर किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेन्चर धारकों का कोई बकाया नही था ।

12 निगम ने प्रतिभूति अथवा शेयर, ऋण पत्र और अन्य दूसरी प्रतिभूतियां गिरवी रखकर कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं की है।

13. निगम कोई चिट फंड या निधि / परस्पर लाभ निधि / सोसाइटी नहीं है ।

14. निगम शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और अन्य निवेशों में व्यवहार / कारोबार नहीं कर रही है ।

15. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर निगम ने अन्य किसी के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के एवज़ मे कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. हमारी राय में तथा प्रबन्धक वर्ग द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम द्वारा कोई आवधिक ऋण नहीं लिए गए ।

17. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के तुलन–पत्र की समग्र जांच करने के पश्चात हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्प अवधि के लिए ऐसी कोई निधियां नहीं उगाही गई जिनका उपयोग दीर्घकालीन निवेश के लिए किया गया है ।

18. निगम ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज पक्षों और कम्पनियों को वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है ।

19. वर्ष के दौरान निगम ने कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए हैं अतः उनके ऊपर किसी प्रकार की जमानती निधि अथवा प्रभार सृजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

20. वर्ष के दौरान निगम ने सार्वजनिक निर्गम के द्वारा धन की उगाही नहीं की है ।

21 हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के दौरान निगम द्वारा अथवा उसमें की गई किसी प्रकार की धोखाधड़ी हमारी जानकारी में नहीं आई और न ही इसकी कोई रिपोर्ट हमसे की गई ।

कृते **एल.सी. कैलाश एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार

(एल.सी. गुप्ता)
वरि0 कार्यपालक भागीदार
सदस्यता सं. 05122
फर्म सं. 01811एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.12.2011

अनुबंध–II

बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्तिकर, आबकारी शुल्क, उपकर, सेवाकर की देयताएं (छः महीने से अधिक समय से बकाया) जिन्हें जमा नहीं कराया गया है, निम्नलिखित है :–

संविधि का नाम	देयताओं की किस्म	विभाग	राशि (रुपयों में)	यूनिट
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिहार बिक्री कर विभाग, बोकारो	55,370	बीटीपीएस
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, बोकारो	15,680	बीटीपीएस बंद
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, सीटीपीएस	1,77,318	सीटीपीएस/मैथन
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिक्री कर विभाग, सीटीपीएस	1,02,579	सीटीपीएस/मैथन
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, तेलपूल	1,85,277	टेलपूल बांध
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, तेलपूल	32,680	टेलपूल बांध
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिक्री कर विभाग, तेलपूल	2,93,798	टेलपूल बांध
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, कोपिली	81,716	कोपिली
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर, कोपिली	19,593	कोपिली
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, गुवाहाटी	1,26,438	उपूक्षेत्र (प.)
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिक्री कर विभाग, गुवाहाटी	4,76,875	उपूक्षेत्र (प.)
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर विभाग, कारबी	29,899	कारबी लांगपी
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, कारबी	1,529	कारबी लांगपी
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, पासीघाट	48,856	पासीघाट
रायल्टी अधिनियम	रायल्टी	रायल्टी विभाग, पासीघाट	9,380	पासीघाट
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, आईझाल	11,839	केवीके आईझाल
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर विभाग, आईझाल	22,036	केवीके आईझाल
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, मणिपुर	2,17,197	दौलाईथाबी यूनिट
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, मणिपुर	2,35,680	खुग्गा बांध
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, मणिपुर	1,38,362	सिंगदा/लोकटक
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, बदरपुर	8,615	बीटीपीएस
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, माइदा	2,66,639	फरक्का एसटीपीपी–2
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिक्रीकर विभाग, माइदा	5,34,080	फरक्का एसटीपीपी–2
ईपीएफ	ईपीएफ	भविष्य निधि विभाग, माइदा	73,453	फरक्का एसटीपीपी–2
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, पुरुलिया	5,784	पुरुलिया सुरंग
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर विभाग, पुरुलिया	720	पुरुलिया सुरंग
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, दुर्गापुर	45,808	दुर्गापुर
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, बांकुरा	5,581	मेजिया
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, सिलीगुड़ी	1,03,677	तीस्ता–3
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर कर विभाग, सिलीगुड़ी	1,21,747	रामम
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	बिक्री कर विभाग, दुर्गापुर	2,64,156	दुर्गापुर
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर, दुर्गापुर	1,19,232	दुर्गापुर
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर, बांकुरा	11,598	मेजिया
व्यावसायिक कर अधिनियम	व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर, सिलीगुड़ी	42,321	रामम
आयकर अधिनियम	स्रोत पर कर कटौती	आयकर विभाग, आसनसोल	57,343	बकरेश्वर
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क एवं ब्याज	सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग, नागपुर	6,70,71,000	नागपुर यूनिट (*)
		योग	**39,42,859**	

(*) आज की तारीख तक एनपीसीसी को कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई बिक्री कर/आयकर/सीमा शुल्क/सम्पत्ति कर/आबकारी शुल्क/उपकर/सेवाकर की बकाया देनदारियां निम्नलिखित हैं :–

संविधि का नाम	देयताओं की किस्म	सर्वोच्च/उच्च न्यायलय	अपीलीय न्यायाधिकरण	अपीलीय प्राधिकारी	निर्णायक प्राधिकारी	संयुक्त सचिव/आयुक्त (अपील)	पुनरीक्षण प्राधिकारी	अन्य	राशि (रूपये में)	यूनिट
छततीसगढ़ बिक्रीकर/ई.टी.	बिक्रीकर माग, 1984–87					अपील आयुक्त, ग्वालियर			15,83,000	जीजीडीयू, कोनी
बिक्रीकर	बिक्रीकर मांग, 1999–2000							सहायक आयुक्त, बिक्रीकर, बीबीएसआर	6,92,015	पू. क्षे. हेतु जल केन्द्र, उडीसा
बिक्रीकर	बिक्रीकर माग, 1997–98		बिक्रीकर न्यायाधिकरण, कटक						1,30,183	पू. क्षे. हेतु जल केन्द्र, उडीसा
सेवाकर	सेवाकर हेतु मांग, 1997–98		अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता						1,47,00,000	तालचर एसटीपीपी
बिक्रीकर	बिक्रीकर मांग, 1997–98					वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक			3,45,203	राउरकेला
बिक्रीकर	बिक्रीकर मांग, 1997–98 से 1999–2000		बिक्रीकर न्यायाधिकरण, कटक						17,29,423	नाल्को, कटक
केन्द्रीय आबकारी एवं सेवाकर	सेवाकर, 2004–05							आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी अपील,	2,19,000	बीएचयू यूनिट, इलाहाबाद
पश्चिम बंगाल राज्य कर	व्यावसायिक कर की देयता पर ब्याज					संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आसनसोल, प. बंगाल			67,842	बकरेश्वर बांध, प. बंगाल
सेवाकर सिलचर	सेवाकर					आयुक्त, अपील, केन्द्रीय आबकारी, ग्वालियर			9,18,596	सिलचर
सेवाकर	सेवाकर आदेश 2008 तक		अपीलीय न्यायाधिकरण, सेवाकर						4,04,06,000	कोरबा, सीपत
								योग	6,07,91,262	

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां 2010-2011
प्रबन्धक वर्ग के उत्तर

1. क) लेखा नीति के विषय मे की गई टिप्पणी नोट कर ली है ।

   ख) कार्य के खर्चों के लिए किया गया प्रावधान उपार्जन आधार पर की गई खातों में राजस्व की पहचान को सामने रखकर किया गया है ।

   ग) नोट कर लिया, ये आंकड़े गतिशील हैं तथा यूनिटों के अनुसार विवरण मौजूद है ।

2. प्रत्येक अनुबन्ध की अलग–अलग लाभ–हानि की गणना करने की कंपनी में व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, यह टिप्पणी कंपनी के इस वर्ष के लाभ और हानि को भी प्रभावित नहीं करती ।

3. अनुसूची–6 की आवश्यकतानुसार कालानुसार वर्गीकरण अनुसूची–1 में दिया गया है। किसी बकाया राशि को संदेहास्पद के तौर पर निर्धारित करने हेतु कोई दस्तावेज़ी नीति रखना व्यावहारिक नहीं है। देनदारों की समीक्षा करने के बाद जहॉ आवश्यक हों, प्रावधान किए जाते हैं और हमारी राय में मौजूदा प्रावधान ऋणों के लिए पर्याप्त हैं ।

4. नोट कर लिया है ।

5. इन बैंको में खातो का प्रचालन 20 वर्षो से बंद पड़ा है। इनकी रकम उन देशों को वापिस नहीं लौटाई जानी है और इसी कारण वर्ष 2006–07 में आवश्यक प्रावधान किया गया था। उन देशों की सामाजिक–राजनैतिक स्थिति को देखते हुए सामान्यतः साल दर साल वहॉ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है ।

6. वर्ष के दौरान मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति में विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात प्रावधान कर दिया गया है ।

7. क) मामला चूँकि अधिकरण में लम्बित है अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

   ख) खातों में 1.45 करोड़ रुपए की मूल रकम मौजूद है। तथापि जुर्माने और ब्याज हेतु प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसी तरह का एक मामला अधिकरण में लंबित है जिसका विवरण क्रम संख्या 7 (क) के उत्तर में दिया गया है ।

   ग) नोट कर लिया है ।

8 कारोबार कंपनी की लेखा–नीति के अनुसार ही दर्ज किया गया है ।

9. प्रकटीकरण कर दिया गया है । इसके लिए लेखों पर टिप्पणियों मे बिन्दू 1 (घ) देखें ।

10. विवाद के कारण तथा संरक्षण के सिद्धान्त के तौर पर यही समुचित माना गया है कि इन्हें खातों में लेखाकित नही किया जाए ।

11. नोट कर लिया है ।

12. सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया है ।

13. अनुपालन हेतु नोट कर लिया है ।

14. नोट कर लिया है ।

15 नोट कर लिया है ।

इसी तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा-3 में संदर्भित अनुलग्नक-1 पर प्रबन्धक वर्ग के उत्तर

1. क) अनुपालन हेतु नोट कर लिया है ।
   ख) कोई टिप्पणी नहीं ।
   ग) कोई टिप्पणी नहीं
2. क) कोई टिप्पणी नहीं
   ख) नोट कर लिया है ।
   ग) कोई टिप्पणी नहीं ।
3. क) कोई टिप्पणी नहीं ।
   ख) कोई टिप्पणी नहीं
4. कोई टिप्पणी नहीं ।
5. कोई टिप्पणी नहीं ।
6. कोई टिप्पणी नहीं ।
7. कोई टिप्पणी नहीं ।
8. कोई टिप्पणी नहीं ।
9. वर्ष 2011–2012 में 25 करोड़ रुपये जमा किए गए। देनदारियों को निपटाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।
   क) कोई टिप्पणी नहीं ।
   ख) कोई टिप्पणी नहीं ।
10. कोई टिप्पणी नहीं ।
11. कोई टिप्पणी नहीं ।
12. कोई टिप्पणी नहीं ।
13. कोई टिप्पणी नहीं ।
14. कोई टिप्पणी नहीं ।
15. कोई टिप्पणी नहीं ।
16. कोई टिप्पणी नहीं ।
17. कोई टिप्पणी नहीं ।
18. कोई टिप्पणी नहीं ।
19. कोई टिप्पणी नहीं ।
20. कोई टिप्पणी नहीं ।
21. कोई टिप्पणी नहीं ।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल प्रोजैक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन के ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल प्रोजैक्ट्स कसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी वृत्तिक सस्था दि इस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षकों एवं आश्वासन मानकों (आडिटिंग एंड एश्योरेश स्टैडर्डस) के अनुसार स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय देने का दायित्व है । इस सम्बन्ध में उनकी राय दिनांक 5 दिसम्बर 2011 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित है ।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल प्रोजैक्ट्स कसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3)(ख) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा की है । यह पूरक लेखा–परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार पत्रों को देखे बिना की गई है तथा यह मूल रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच और कंपनी कार्मिकों तथा कुछ चुंनिदा लेखा रिकार्डो की जांच तक सीमित है । जांच के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं आया है जिसके लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन पर किसी टिप्पणी अथवा अनुपूरक की आवश्यकता हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
तथा उनकी की ओर से

(इला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–1
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 दिसम्बर, 2011

दस वर्ष एक नज़र में

(धनराशि लाख रुपयों में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
प्राधिकृत पूँजी	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	70000.00	70000.00	70000.00
प्रदत्त पूँजी										
(क) इक्विटी शेयर	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	67673.75	9453.16
(ख) गैर संचित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वरीयता शेयर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
आरक्षित एवं अतिरिक्त	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
निधियों के स्त्रोत										
(क) पूँजी	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984.20	2984 20	2984.20	67673.75	9453.16
(ख) ऋण निधियां	39270.74	45105.10	53041.71	65001.05	62726.23	64593.28	67648 57	67954.48	1323.86	9923.62
योग	42254.94	48089.30	56025.91	67985.25	65710.43	67577.48	70632.77	70938.68	68997.61	19376.78
निधियों का उपयोग										
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	933.26	932.70	912.35	865.61	830.94	894.06	834.53	801.38	761.84	737.85
निवेश	20.30	20.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.15	0.15	0.15
निवल चालू परिसम्पत्तियां	-7641.52	-7399.94	-6534.71	-1611.38	-3610.47	-9416.18	-10009.99	-13117.36	-11921.53	-88.41
आस्थगित व्यय / राजस्व परिसम्पत्तियां	2.46	21.37	15.93	14.87	0.00	2.04	0.00	576.80	608.29	4673.33
संचित हानि	48940.44	54514.87	61632.04	68715.85	68489.66	76097.26	79807.93	82677.71	79548.86	14053.86
योग	42254.94	48089.30	56025.91	67985.25	65710.43	67577.48	70632.77	70938.68	68997.61	19376.78
आय										
किए गए कार्य का मूल्य	13724.79	22733.26	30274.35	30545.83	57746 08	72194.25	71152.87	82556.38	99110.64	106130.18
निगम हेतु किए कार्य का मूल्य	37.70	28.38	13.15	19.14	20.33	-13.96	5.61	3.80	11.71	2.25
अन्य आय	766.80	1324.16	569.44	448.10	5063.05	4070.19	1784.33	1544.49	1439.27	3501.74
योग	14529.29	24085.80	30856.94	31013.07	62829.46	76250.48	72942.81	84104.67	100561.62	109634.17
व्यय										
निर्माण और निर्माण कार्य व्यय	14167.95	22188.22	29375.23	28652.62	54086.71	66790.16	66238.54	77685.03	92637.36	100838.36
कार्मिक	2038.29	2077.42	2890.81	2211.99	2719.61	3012.87	2569.33	2961.77	2808.03	3860.75
प्रशासन	208.19	249.92	244.62	258.03	291.44	345.10	367.28	346.84	421.48	393.76
बैंक प्रभार	33.13	48.47	37 90	31.66	29.40	12.63	8.59	9.08	5.99	6.28
अन्य व्यय	194.30	664.93	376.59	430.90	463.68	520.19	311.29	327.19	503.55	563.67
प्रावधान	1344.07	498.24	373.46	1068.48	535.94	8463.50	1771.50	1818.45	666.10	534.21
पूर्व अवधि समायोजन	66.17	7.21	30.62	129.58	74.31	52.01	264.42	53.50	23.22	- 63.24
योग	18052.10	25734.41	33329.23	32783.26	58201.09	79196.46	71530.95	83201.86	97065.73	106133.79
ब्याज और कर पूर्व लाभ-हानि (पीबीआईटी)	-3522.81	-1648.61	-2472.29	-1770.19	4628.37	-2945.98	1411.86	902.81	3495.89	3500.38
ब्याज	3270.36	3925.82	4644.87	5313.62	4388.94	4693.73	5059 19	4333.95	398.54	291.01
कर (एफबीटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	16.23	14.99	15.44	0.00	0.00
ब्याज और कर पश्चात लाभ/-हानि (पीएआईटी)	-6793.17	-5574.43	-7117.16	-7083.81	226.19	-7655.94	-3662.32	-3446.58	3097.35	3209.37
आस्थगित कर राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.80	31.49	4065.04
आस्थगित कर राजस्व के पश्चात निवल लाभ/-हानि	-6793.17	-5574.43	-7117.16	-7083.81	226.19	-7655.94	-3662.32	-2869 78	3128.84	7274.41

कार्य क्षेत्र

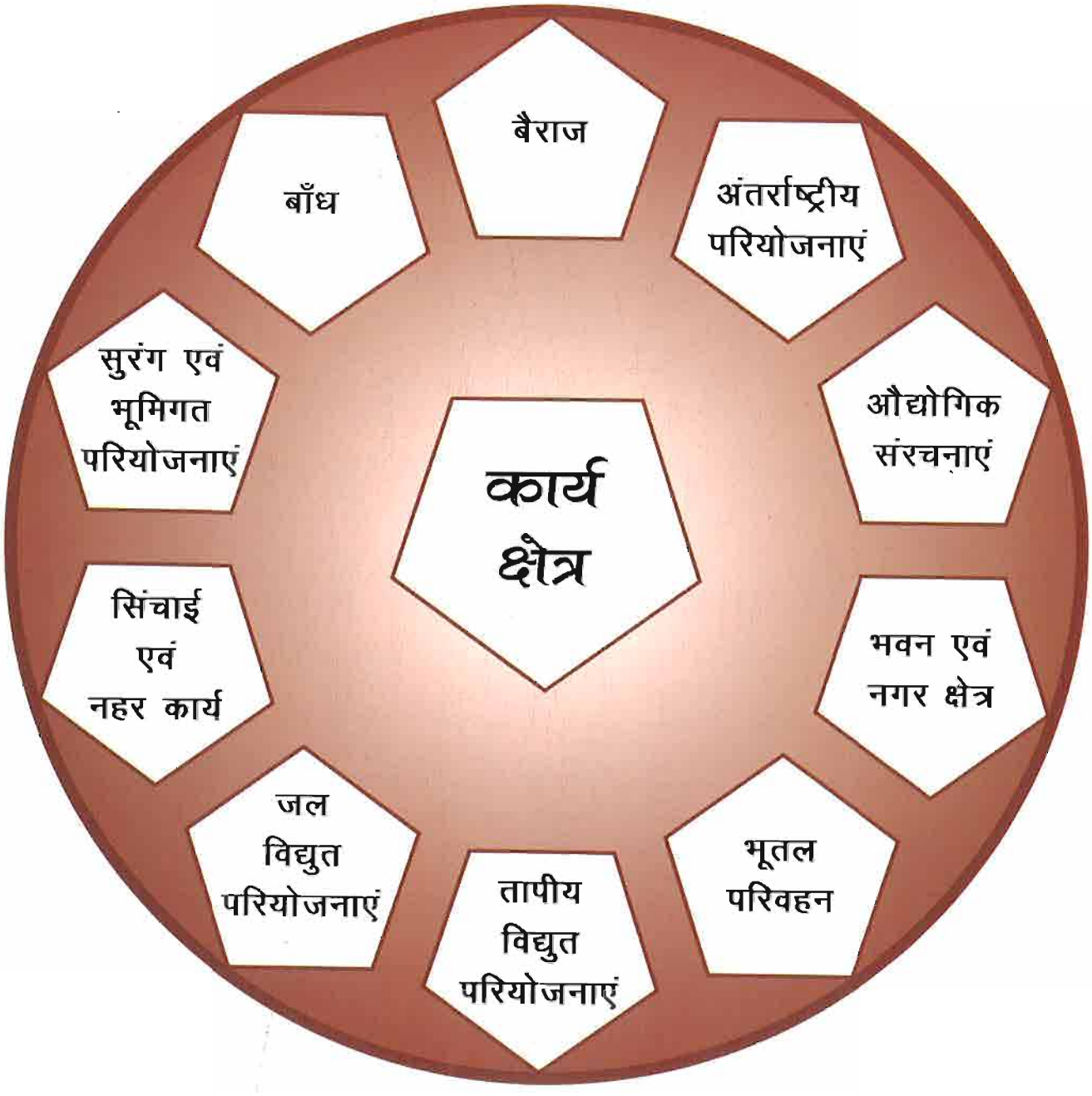
कार्य क्षेत्र
बैराज
अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं
औद्योगिक संरचनाएं
भवन एवं नगर क्षेत्र
भूतल परिवहन
तापीय विद्युत परियोजनाएं
जल विद्युत परियोजनाएं
सिंचाई एवं नहर कार्य
सुरंग एवं भूमिगत परियोजनाएं
बाँध

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
पो.आ. रियासी,
जिला रियासी–182 311
जम्मू और कश्मीर
टैली फैक्स 01991–245200

उत्तर (पश्चिम) क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
98, नेहरू कॉलोनी
देहरादून–248 001
उत्तराखण्ड
फोन 0135–2101046, फैक्स 0135–2675725

उत्तर पूर्व (पश्चिम) क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
म.नं. 34, हेम चन्द्र रोड़, उज़न बाजार
गुवाहाटी–781 001
असम
फोन 0361–2731399, फैक्स 0361–2131303

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
B–109, ट्विन टॉवर, पम्प हाउस
मनीष पार्क, अंधेरी (ईस्ट)
मुम्बई–400 093
महाराष्ट्र
टेली फैक्स 022–28374345

बिहार क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
15, आई.ए.एस. कालोनी (दूसरा तल) किदवईपुरी,
पटना–800 001
बिहार
फोन 0612–2525989, फैक्स 0612–2526011

छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
कल्याण अपार्टमेंट, गली नं. 5,
अशोक विहार कॉलोनी, पांडरी, रायपुर–492 004
छत्तीसगढ़
टेली फैक्स 0771–4074482

उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
3/21, पत्रकारपुरम, गोमती नगर
लखनऊ–226 010
उत्तर प्रदेश
टेली फैक्स 0522–2304421, 0120–2433155

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
3–ए डॉ. एस.एन. रॉय रोड़,
कोलकाता–700 029
पश्चिम बंगाल
फोन 033–24635138, फैक्स 033–24664454

उत्तर पूर्व (आई.बी.बी.डब्ल्यू) क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
म. नं. 2 (दूसरा तल) अपनजान पल्ली, सोनई रोड़,
सिलचर–788 006
असम
फोन 03842–225089, फैक्स 03842–226995

उत्तर पूर्व (केन्द्र) क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
मदन रीटिंग,
शिलांग–793 021
मेघालय
फोन 0364–2535422, फैक्स 0364–2534475

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
म. नं. 1316, दूसरा क्रॉस के.एच.बी. कॉलोनी
मगाडी मेन रोड़,
बंगलौर–560 079
कर्नाटक
टेली फैक्स 080–23110309

झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
220 सी, अशोक पथ, अशोक नगर,
रांची–834 002
झारखंड
फोन 0651–2242845, फैक्स 0651–2242820

उड़ीसा क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
VII-H-167, शैलाश्री विहार,
भुवनेश्वर–751 021
उड़ीसा
फोन 0674–2741417, फैक्स 0674–2741892

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
प्लाट नं. – 148, सेक्टर – 44, गुड़गाँव
हरियाणा
फोन 0124–2386620, फैक्स 0124–2386589

पंजीकृत कार्यालय : एनपीसीसी लिमिटेड, राजा हाउस, 30–31, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110 019, फोन : 011–26484842 फैक्स : 011–2648699
केन्द्रीय कार्यालय : एनपीसीसी लिमिटेड, प्लाट नं. 67–68, सैक्टर–25, फरीदाबाद–121 004, हरियाणा, फोन 0129–4062856–59 फैक्स : 0129–2230891

वेबसाइट : www.npcc.gov.in

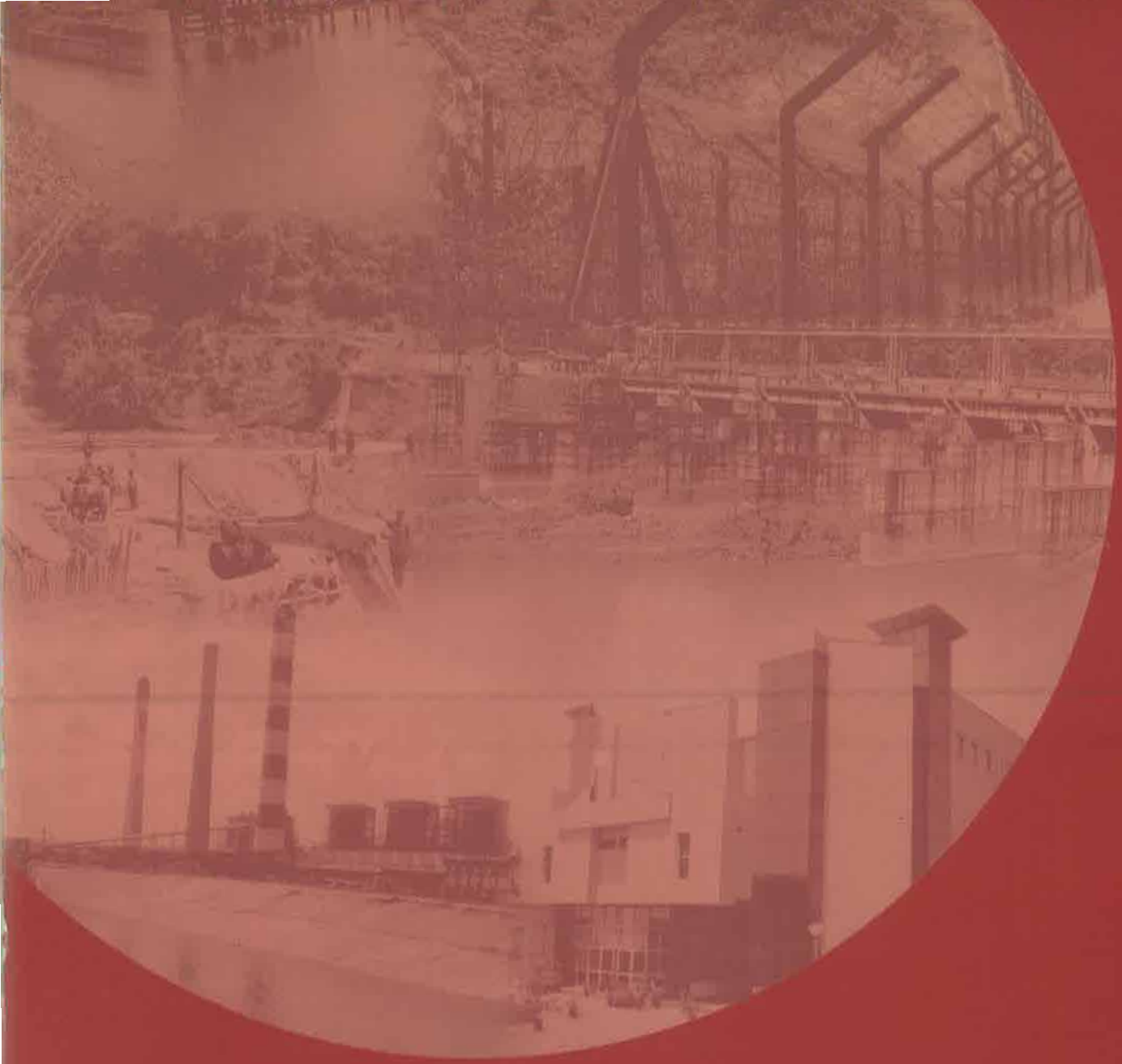

एन पी सी सी
NPCC

नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

National Projects Construction Corporation Limited

A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE

Designed & Printed by Current Advertising Pvt. Ltd.